नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन (एल०ए०)- खण्ड– IV, दिनाँक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ऊना के लेखों अवधि 1.04.21 से 31.03.23 तक का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद ऊना में निम्नलिखित बतौर प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहे:-

(i) प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती पुष्पा देवी	1.04.2021 से 31.03.2023

(ii) **कार्यकारी अधिकारी :-**

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार	1.04.2021 से 31.03.2023

(iii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार	1.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

नगर परिषद ऊना, जिला ऊना के लेखों अवधि 1.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	सावधिक ब्याज के रूप में हानि	7.2	2.59
2	दिनाँक 31.03.2023 को अनुदानों की व्यय हेतु शेष राशि	8.1 (iii)	947.46
3	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	8.2 (iv)	1609.61
4	दिनाँक 31.03.2023 को गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	9.1 (i)	52.87
5	दिनाँक 31.03.2023 को दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	9.2 (i)	70.78
6	दिनाँक 31.03.2023 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूली हेतु शेष	9.3	6.22
7	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली न करना	9.6	22.40
8	तहबाजारी की वसूली न करना	9.7	10.26
9	गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं अनियमित भुगतान	10.1	5.19
10	निर्माण /मुरम्मत कार्यों में निष्पादित अतिरिक्त मदों की दरों की गणना गलत तरीके से करने के कारण संविदाकारों को अधिक एवं अनियमित भुगतान	11.2 11.3 11.5	2.83
11	देरी से कार्य निष्पादन करने के बावजूद विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करना	11.7	14.21
12	प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर निर्माण/मुरम्मत कार्यों का निष्पादन	11.8	478.57
13	संविदाकारों के बिलों से श्रमकर की कटौती न करना	11.9	8.21
14	सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) के चालान प्रस्तुत न करना	12	26.74
15	अवधि 1.04.19 से 31.03.2021 तक की तुलना में अवधि 1-04-21 से 31-03-22 तक के दौरान 27 व अवधि 1-04-22 से 31-03-23 तक 51 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को वित्तीय हानि	12.3	109.37
16	शेर सिंह सफाई ठेकेदार को वार्ड नंबर 1 व 3 की सफाई के ठेके में अधिक एवं गलत भुगतान	12.4	6.60
17	प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदारों को विभिन्न वार्डों का ठेका न देने के फलस्वरूप सम्भावित हानि	12.5	8.02
18	न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से 3 नंबर मिस्त्री व 6 नंबर मजदूर ठेके पर न लेने के कारण अपव्यय	12.7	2.32

19	नाली का ढक्कन / ड्रेन कवर के क्रय में पाई गई अनियमितताएं	13	14.96
20	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत का कार्य शुरू न होने के बावजूद 10 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण Sky Light Man Power Hospitality Service Hamirpur को अधिक एवं अनियमित भुगतान	14	11.21
21	प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY/HFA) खाते से अनियमित भुगतान	15	19.47
22	बिल वाउचर प्रस्तुत न करने के कारण व एन. यू. एल. एम. निधि से संभावित दुरूपयोग	16.1 16.2 16.3 16.4	60.32
23	विभिन्न विभागों को निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु प्रदत्त अग्रिम का समायोजन न करना	11.11	26.46
24	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय	18.2	791.10

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-"क"** पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना अत्यंत चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्रवाई सुनिश्चित करें, तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन/निपटारा सम्भव हो सके।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद ऊना के लेखों अवधि 1.04.2021 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राज कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 01.05.2023 से 13.06.2023 व 28.11.2023 से 6.01.2024 तक नगर परिषद कार्यालय ऊना में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	05/21
2022-23	03/23	07/22

अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर परिषद ऊना के लेखों अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹98800 आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -9 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अधियाचना संख्या-03 दिनाँक 01.01.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से अनुरोध किया गया था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि ₹98800 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या- 018882 दिनाँक 5.01.2024 के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

4 **वित्तीय विवरणियां एवं दोहरी लेखा पद्धति बारे :-**

1) वित्तीय विवरणियां:-

नगर परिषद/नगर पंचायत अधिनियम -1994 के अंतर्गत नगर परिषद/नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा संख्या 27.4 के अनुसार नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक है। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 208 दिनाँक 15.05.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः नगर परिषद द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) तुलन पत्र (Balance Sheet)

(ii) आय-व्यय विवरणी (Income and Expenditure statement)

(iii) नकदी प्रवाह विवरणी (Statement of Cash Flow)

(iv) प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt and Payment Statement)

(v) लेखों पर टिप्पणी (Notes to accounts)

(vi) वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial performance indicator)

2) दोहरा लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 दिनाँक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 दिनाँक 7.09.2009 और UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 दिनाँक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए थे कि वह अपने सभी लेखा खातों को दिनाँक 1.04.2009 से दोहरा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के अनुरूप संचालित करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -211 दिनाँक 18.05.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व लेखों का संधारण दोहरी लेखा पद्धति अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद ऊना द्वारा यथा **परिशिष्ट-'ख'** पर प्रस्तुत सूचनानुसार नगर परिषद की लेखा अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1 मुख्य रोकड़ बही :-

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (स्वयं स्रोत)	76917586.59	79857037.40
आरम्भिक शेष (अनुदान)	55282303.00	62726769.60
योग	**132199889.59**	**142583807.00**
स्वयं स्त्रोत से आय	18300474.70	21080294.52
हस्तांतरित आय (स्वयं स्त्रोत)	0	2550000.00
अनुदान	72602749.00	94378330.00
ब्याज (स्वयं स्त्रोत)	3830846.00	4891007.00
कुल योग	**226933959.29**	**265483438.52**
व्यय (स्वयं स्त्रोत)	19191869.89	36593162.53
व्यय (अनुदान)	63864242.40	61029575.00
हस्तांतरित राशि (स्वयं स्त्रोत)	0	4050000.00
हस्तांतरित राशि (अनुदान)	1294040.00	3100000.00
अंतिम शेष (स्वयं स्त्रोत)	79857037.40	67735176.39
अंतिम शेष (अनुदान)	62726769.60	92975524.60
योग	**142583807.00**	**160710700.99**

5.1 (क) (i) दिनाँक 31.03.2023 को नगर परिषद ऊना की मुख्य रोकड़ बही के विभिन्न बैंकों में जमा शेष राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अंतिम शेष (₹)
1	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	1019688.30
2	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420055397	288739.37
3	पंजाब नेशनल बैंक ऊना	3353 0001 0019 7769	2663068.60
4	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	55064742779	10582320.17

5	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	88610100009131	81855.95
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	88610100000929	79553.00
7	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	88610100001591	74644.00
8	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ऊना	20013032439	351844.00
9	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ऊना	20013034833	125901.00
10	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ऊना	20013012231	8379841.00
11	एक्सिस बैंक ऊना	911010041611777	8910792.00
12	केनरा बैंक ऊना	89032210000050	148472.55
13	एच. डी. एफ. सी. बैंक ऊना	50100204549959	6725414.60
14	एच. डी. एफ. सी. बैंक ऊना	8571450000227	7009159.93
15	एच. डी. एफ. सी. बैंक ऊना	501003344719	88059.30
16	बैंक ऑफ़ बड़ौदा ऊना	312701000004869	5261985.00
17	बैंक ऑफ़ बड़ौदा ऊना	312701000005097	60568122.00
18	यस० बैंक ऊना	33094600000618	2852434.00
19	यस० बैंक ऊना	33094600000658	1193926.00
20	यस० बैंक ऊना	33088700000061	1176552.00
21	यस० बैंक ऊना	33094600000648	147113.00
22	एक्सिस बैंक ऊना	921010035786620	174.00
23	आई०डी० बी० आई० ऊना	703104000003346	0
24	सरकारी कोष (Treasury)	8448 PLA	9534.00
25	केनरा बैंक ऊना	234005 (FDR)	9191058.22
26	ए. यू. स्माल फाइनेंसिंग बैंक ऊना	2031238715255617/3 (FDR)	2829668.00
27	यस० बैंक ऊना	033040400021846/1 (FDR)	7500000.00
28	यस० बैंक ऊना	033040400021866/1 (FDR)	18300000.00
29	यस० बैंक ऊना	033040400021856/1 (FDR)	4286028.00
		योग	**159845947.99**

(ii) बैंक समाधान विवरणी (मुख्य रोकड़ बही) :-

दिनाँक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है :-

बैंक समाधान विवरणी (मुख्य रोकड़ बही)

	Balance as per Cash Book as on 31.03.2023		**160710700.99**
Add:-	**Cheque issued but not yet presented for payment upto 31.03.23**	(+)	**2002349.00**
Add:-	NEFT sent to bank CBI Una A/C No. 1420103692 on dated 02.08.22 of ₹68000 for Salary of Assitant Engineer only ₹25000 have been debited by the bank upto 31.03.23	(+)	**43000.00**
Less:-	**Amount Deposited into bank but not credited by Bank upto 31.03.23**	(-)	**500000.00**
Less:-	**Cash in Hand**	(-)	**2013.00**
Less:-	Cheque sent to bank for collection of account number 1420103692 CBI Una on dated 27.06.2022 vide Cheque no. 005958 dated 23.6.22 on account of rent from Sh. Omkar dass but cheque was dishonoured due to non sufficient of fund.	(-)	**25000.00**

Cheque issued but not yet presented for payment upto 31.03.23:

Bank Name	Account No.	Date	Cheque No	Amount (₹)	Date of debit
CBI	1420103692	31.03.2023	066195	8784	13.04.2023
CBI	1420103692	31.03.2023	066196	11888	13.04.2023
Baroda bank	31270100005097	31.03.2023	510054	14754	13.04.2023
Baroda bank	31270100004869	31.03.2023	PFMS	1870000	03.04.2023
HDFC Bank	50100203344719	31.03.2023	000003	4760	19.04.2023
Axis bank	911010041611777	31.03.2023	148963	71624	13.04.2023
Axis bank	911010041611777	31.03.2023	148964	13188	13.04.2023
Axis bank	911010041611777	31.03.2023	148965	5771	13.04.2023
KCCB	20013012231	31.03.2023	012093	1580	13.04.2023
			Total	**2002349**	

Amount Deposited into bank but not credited by Bank upto 31.03.23:

Bank Name	Account No.	Dated	Cheque No	Amount (₹)	Date of Cr.
C.B.I. Una	1420103692	31.03.2023	932405	500000	03.04.2023

Less:-	Double G-8 issued for single income on account of House tax from vide G-8 No. 65/9 dated 31.03.22 (cheque no. 315441 dated 30.03.22) and another G-8 No. 84/9 dated 12.04.22 (cheque no. 315441 dated 30.03.22) from Smt Darshan Kaur W/o Ram Kishan Moh. Galua Ward No. 3 Una.	(-)	**55805.00**
Less:-	Cheque No. 727215 dated 31-02-2006 which was theft and FIR No. 502 dated 11/2006 has been registered as shown in previous Audit Report 4/19 to 3/21 vide para No. 4(क) not entered in cash book upto 31.03.23	(-)	**75220.00**
Less:-	Amount deducted by EPF Department without intimation to Municipal Council Una vide account number 20013034833 K.C.C.B Una Dated 19.08.16 but not entered in cash book upto 31-03-2022 as shown in previous Audit Report 4/19 to 3/21 vide para No. 4(क) not entered in cash book upto 31.03.23	(-)	**1564647.00**
Less:-	A payment of Rs. 161180/- to Tania International Co. Sanitation Contractor paid twicely by bank from Account no. 1420103692 on dated 12.05.2022 and 13.05.2022 and the excess debited amount is credited by bank on dated 14.06.23.	(-)	**161180.00**
Less:-	Bank wrongly debited Amount from account no. 1420103692 instead of account no. of security 142013992 on dated 14.07.2022 . Now recovered the amount from security cash account on dated 3.06.23.	(-)	**227575.00**
Less:-	Transferred the amount to RBI DEA on dated 30.03.22 vide Account Number 703104000003346 IDBI Una on dormant account without intimation to Municipal Council Una but not yet entered in cash book upto 31-03-2023. Now the same amount is credited by the bank on dated 19.05.23.	(-)	**298662.00**
	Balance as per Pass Book as on 31.03.2023		**159845947.99**

(ख) सरकारी कोष (Treasury) ऊना में खाता संख्या 8448 -PLA दिनाँक 31-03-2021 को ₹9534/- शेष राशि दर्शाई गई है परन्तु उक्त खाते का दिनाँक 31-03-2023 को अन्तिम शेष का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खाते के अन्तिम शेष के प्रमाण पत्र की अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) (i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनाँक 23.06.23 को जी-8 संख्या 13/18 के अंतर्गत श्री ओंकार दास श्री बिहारी लाल गांव नंगल कलां से दुकान संख्या -1 अरविन्द मार्ग से दुकान किराया व अदत्त किराया के रूप में ₹21186 व वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹3814 कुल ₹25000 की वसूली चैक संख्या 005958 दिनाँक 23.06.22 के अंतर्गत की गई दर्शाई गई थी। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना के खाता संख्या 1420103692 में दिनाँक 27.06.22 को उक्त व्यक्ति के खाते में अपर्याप्त निधि (Insufficient fund) दर्शाकर उक्त चैक का क्रेडिट नहीं दिया गया। नगर परिषद द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए। यद्यपि उक्त जी-8 को किराया रजिस्टर के पेज संख्या- 29 में उक्त

किरायेदार के खाते में भी दर्ज कर दिया गया है। अतः वास्तविक रूप में राशि प्राप्त किये बिना किराया रजिस्टर में प्रविष्टि करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त प्रविष्टि की शुद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री राम किशन गलुआ वार्ड संख्या – 3 ऊना से गृहकर के रूप में जी-8 संख्या 65/9 दिनाँक 31.03.2022 को चैक संख्या 315441 के अंतर्गत ₹55805 की राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई थी व पुनः जी-8 संख्या 84/9 दिनाँक 12.04.2022 को चैक संख्या 315441 के अंतर्गत ₹55805 की आय को रोकड़ बही में दर्ज किया गया था। फलस्वरूप एक चैक के माध्यम से प्राप्त आय की दो बार रसीदें जारी करके रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया था। अतः एक ही आय हेतु दो रसीदें जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त जी-8 संख्या 65/9 दिनाँक 31.03.2022 में उल्लेखित चैक संख्या में भी कटिंग की गई थी व उक्त कटिंग को किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। जिस कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में एक ही चैक प्राप्त किया गया था। अतः उक्त गृहकरदाता से उक्त राशि प्रदान करने से सम्बन्धित शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि उक्त गृहकरदाता द्वारा वास्तव में एक बार ही गृहकर का भुगतान किया गया है व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.):-

नगर परिषद ऊना की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.) की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (₹)	**1346077.20**	**20886.20**
आय (₹)	5169000.00	7601517.00
ब्याज (₹)	44942.00	449.00
कुल योग (₹)	**6560019.20**	**7622852.2**
व्यय (₹)	675767.00	7608211.00
हस्तांतरित राशि (₹)	5863366.00	0
अंतिम शेष (₹)	**20886.20**	**14641.20**

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनाँक 31.03.23 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना के खाता संख्या 3480981130 में जमा शेष राशि = ₹14641.20

5.3 शहरी आजीविका केंद्र (City Livelihood Centre) सी० एल० सी० :-

नगर परिषद ऊना की अवधि 1.04.2021 से 31.03.2023 को शहरी आजीविका केंद्र (City Livelihood Centre) सी० एल० सी० की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (₹)	**182659.60**	**90173.80**
आय (₹)	0	196893.00
ब्याज (₹)	4288.00	1415.00
कुल योग (₹)	**186947.60**	**288481.8**
व्यय (₹)	96773.80	250208.39
अंतिम शेष (₹)	**90173.80**	**38273.41**

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनाँक 31.03.23 को पंजाब नेशनल बैंक ऊना के खाता संख्या 9810000100010008 में जमा शेष राशि = ₹38273.41

5.4 प्रधान मंत्री आवास योजना/ हाउस फॉर ऑल (PMAY/HFA) :-

नगर परिषद ऊना की अवधि 1.04.2021 से 31.03.2023 को प्रधान मंत्री आवास योजना/ हाउस फॉर ऑल (PMAY/HFA) की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (₹)	**4606799.00**	**737064.00**
आय (₹)	11324422.00	12125928.00
ब्याज (₹)	130695.00	12978.05
कुल योग (₹)	**16061916.00**	**12875970.05**
व्यय (₹)	15324852.00	12111431.05
अंतिम शेष (₹)	**737064.00**	**764539.00**

अन्तिम शेष का विवरण :-

दिनाँक 31.03.23 को केनरा बैंक ऊना के खाता संख्या 2066101050007 में जमा शेष राशि	765202
दिनाँक 31.03.23 को यू. को. बैंक ऊना के एस. एन. ए. खाता संख्या 18230110057735 में डेबिट शेष राशि	-663
कुल योग	**₹764539.00**

5.5 सी. सी० वी० पी० :-

नगर परिषद ऊना की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 को सी० सी० वी० पी० की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (₹)	**900507.00**	**926933**
आय (₹)	0	0
ब्याज (₹)	26426.00	26949.00
कुल योग (₹)	**926933**	**953882**
व्यय (₹)	0	0
हस्तांतरित राशि (₹)	0	0
अंतिम शेष (₹)	**926933**	**953882**

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनाँक 31.03.23 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ ऊना के खाता संख्या 3470434429 में जमा शेष राशि = ₹953882

5.6 प्रतिभूति निधि:-

नगर परिषद ऊना की अवधि 1.04.2021 से 31.03.2023 को प्रतिभूति निधि की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (₹)	**4733004.20**	**2535183.20**
आय (₹)	1108101.00	3600201.00
ब्याज (₹)	96763.00	92985.00
कुल योग (₹)	**5937868.20**	**6228369.20**
व्यय (₹)	3402685.00	2936059.70
अंतिम शेष (₹)	**2535183.20**	**3292309.50**

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनाँक 31.03.23 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ ऊना के खाता संख्या 1420139981 में जमा शेष राशि = ₹3480244.50

(i) **बैंक समाधान विवरणी :-**

दिनाँक 31-03-2023 रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष :-		3292309.50
जमा (+)	दिनाँक 14.07.2022 को श्री गगन कुमार, संविदाकार को आर. टी. जी. एस. के अंतर्गत भुगतान की गई राशि, जिसको मुख्य रोकड़ बही के खाता संख्या 1420103692 से डेबिट कर दिया गया। जिसका सुधार दिनाँक 03.06.23 को कर दिया गया है	227575

घटाव (-)	दिनाँक 27-03-20 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज आय चैक संख्या 716135 का प्रतिभूति निधि के खाते में क्रेडिट न होकर दिनाँक 27-03-20 को पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि खाता संख्या 1420139992 में गलत क्रडिट होना। जिसका सुधार दिनाँक 3.05.23 को कर दिया गया है	39640
दिनाँक 31-03-23 को बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष		**3480244.50**

5.7 पेंशन एवं उपदान निधि :-

(I) नगर परिषद ऊना की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 को पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.03.2023 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
आरम्भिक शेष (₹)	**31771.35**	**1188721.35**
आय (₹)	9976884.00	6887682.00
ब्याज (₹)	22297.00	26625.00
कुल योग (₹)	**10030952.35**	**8103028.35**
व्यय (₹)	8842231.00	8129893.00
अंतिम शेष (₹)	**1188721.35**	**-26864.65**

अन्तिम शेष का विवरण :- दिनाँक 31.03.23 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ ऊना के खाता संख्या 1420139992 में जमा शेष राशि = ₹12775.35

(i) बैंक समाधान विवरणी :-

दिनाँक 31-03-2023 रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष :-		-26864.65
जमा (-)	दिनाँक 27-03-20 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज आय चैक संख्या 716135 का प्रतिभूति निधि के खाते में क्रेडिट न होकर दिनाँक	39640

	27.03.20 को पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि खाता संख्या 1420139992 में गलत क्रडिट होना । जिसका सुधार दिनाँक 3.05.23 को कर दिया गया है	
दिनाँक 31-03-23 को बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष		**₹12775.35**

5.7 (II) पेंशन एवं उपदान निधि में माह 9/21 व 10/21 में 46 लाख व घाटे के रूप में ₹90 लाख कुल 1 करोड़ ₹36 लाख हस्तांतरण करने बारे

पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि माह 9/21 में 11 लाख व माह 10/21 में 35 लाख कुल 46 लाख रूपए हस्तांतरित किया गया है । इसके अतिरिक्त पेंशन व उपदान निधि में घाटे के रूप में माह 4/21 से 8/21, 1/22 से 10/22, 1/23 से 3/23 तक 18 माह हेतु 5 लाख प्रतिमाह की दर से 90 लाख कुल 1 करोड़ 36 लाख रूपए हस्तांतरित किये गये हैं । इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं अंकेक्षण को प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	माह	वाउचर संख्या	दिनाँक	राशि	अनुदान शीर्ष जहाँ से राशि हस्तांतरित की गई है

उक्त सूचना प्रदान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 265 दिनाँक 07.06.23 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया व न ही उक्त सूचना अंकेक्षण को प्रदान की गई । अतः उक्त सूचना अंकेक्षण को प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सूचना आगामी अंकेक्षण को प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए ।

5.7 (III) GPF/CPF के व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा अवधि 04/2021 से 3/2023 तक GPF/CPF व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव नहीं किया गया है । जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन से काटे गए GPF/CPF अंशदान की कर्मचारी वार पुष्टि नहीं की जा सकती । यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221 दिनाँक 20.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि GPF/CPF के व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त व्यक्तिगत खातों का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यथाशीघ्र GPF/CPF व्यक्तिगत खातों का रख- रखाव करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 **नगर परिषद ऊना के गत तीन वर्षों की आय व्यय का विवरण:-**

नगर परिषद ऊना के गत तीन वर्षों की आय- व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आय (₹)	व्यय (₹)
2020-21	126853070.50	103699849.73
2021-22	122637887.70	111398421.09
2022-23	150923253.57	128658540.67

7 **निवेश :-**

1) नगर परिषद ऊना द्वारा मुख्य रोकड़ बही से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का दिनाँक 31.03.23 को विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट – 'ख-1'** में भी दिया गया है।

क्रम संख्या	**रोकड़ बही**	**कुल निवेशित राशि (₹)**
1	**मुख्य रोकड़ बही**	**42106754.22**

विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	सावधिक निवेश संख्या / बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपकता तिथि	परिपकता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि
1	234005/ कैनरा बैंक ऊना	18.06.2022	9191058.22	18.06.2023	9687952.22	5.30%	12 माह
2	2031238715255617/3/	12.12.2022	2829668.00	13.12.2023	3044065.00	7.35%	12 माह दिन

	ए. यू. स्माल फाइनेंसिंग बैंक ऊना						
3	0330404000218 66/1/ यस० बैंक लिमिटेड ऊना	12.01.2023	18300000.00	12.07.2025	22029055.00	7.50%	30 माह
4	0330404000218 56/1 यस० बैंक लिमिटेड ऊना	12.01.2023	4286028.00	12.07.2025	5159407.00	7.50%	30 माह
5	0330404000218 46/1/ यस० बैंक लिमिटेड ऊना	12.01.2023	7500000.00	12.07.2025	9028302.00	7.50%	30 माह
		योग	**42106754.22**				

अतः उक्त सावधि जमा राशि को परिपकता तिथि को भुनाया या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

2) सावधिक ब्याज के रूप में सम्भावित ₹2.59 लाख की हानि :-

(i) सावधिक ब्याज के रूप में हानि ₹56733 :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा दिनाँक 18-06-2021 को कैनरा बैंक ऊना में सावधिक निवेश के अन्तर्गत ₹8728262.22 की राशि एक वर्ष की अवधि के लिए 5.20% वार्षिक दर पर निवेशित की थी। जबकि दिनाँक 11.12.21 को ए. यू. स्माल फाइनेंस बैंक ऊना में सावधिक निवेश के अन्तर्गत ₹2669584 की राशि एक वर्ष की अवधि हेतु 5.85% वार्षिक दर पर निवेशित की थी। फलस्वरूप ए० यू० स्माल फाइनेंस बैंक ऊना की दरों की तुलना में कैनरा बैंक ऊना में कम दरों पर सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ निवेशित करने के कारण नगर परिषद को सम्भवतः सावधि ब्याज के रूप में ₹56733.70 (8728262.22 x 0.65% (5.85-5.20)) की हानि हुई है। उक्त सावधिक ब्याज के रूप में हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 230 दिनाँक 20.05.2023, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ निवेशित करते समय बैंकों की दरों से तुलना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कम दर पर सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ निवेशित करने के कारण नगर परिषद को सावधिक ब्याज के रूप में हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) **सावधिक ब्याज के रूप में ₹2.02 लाख की वित्तीय हानि**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा दिनाँक 18.06.2022 को कैनरा बैंक ऊना में सावधिक निवेश के अन्तर्गत ₹9191058.22 की राशि एक वर्ष की अवधि के लिए 5.30% वार्षिक दर पर निवेशित की है। जबकि दिनाँक 12.01.23 को यस बैंक लिमिटेड ऊना में सावधिक निवेश के अन्तर्गत ₹4286028 की राशि एक वर्ष की अवधि हेतु 7.50% वार्षिक दर पर निवेशित की थी। फलस्वरूप यस बैंक लिमिटेड ऊना की दरों की तुलना में कैनरा बैंक ऊना में कम दरों पर सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ निवेशित करने के कारण नगर परिषद को सावधि ब्याज के रूप में ₹202203 (9191058.22 x 2.20% (7.50-5.30)) की हानि हुई है। उक्त सावधिक ब्याज के रूप में हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 286 दिनाँक 01.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में अंकेक्षण के सुझाव अनुसार सावधिक निवेश करवाने में ध्यान रखा जाएगा व सावधिक निवेश में सभी बैंकों की दरों की तुलना करके ही निवेश किया जाएगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ निवेशित करते समय बैंकों की दरों से तुलना उपरांत अधिकतम दर पर निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कम दर पर सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ निवेशित करने के कारण नगर परिषद को सावधिक ब्याज के रूप में हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) वसूली योग्य परिपक्वता राशि की जगह कम राशि दर्ज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यस० बैंक ऊना में सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि की परिपक्वता तिथि को वसूली योग्य राशि ₹36227726 से कम राशि ₹36216764 दर्शाने के कारण राशि ₹10962 कम दर्शाई गई थी। अतः सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि की परिपक्वता तिथि को वसूली योग्य राशि से कम राशि दर्ज करने का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व वसूली योग्य देय सावधिक ब्याज को सम्बन्धित बैंक से वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र. सं.	सावधिक निवेश संख्या / बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	अवधि	देय परिपक्वता राशि (₹)	दर्शाई गई परिपक्वता राशि (₹)	अन्तर (₹)
1	033040400021866/1/ यस० बैंक लिमिटेड ऊना	12.01. 23	18300000	12.07. 25	7.50%	30 माह	22035723	22029055	6668
2	033040400021856/1 यस० बैंक लिमिटेड ऊना	12.01. 23	4286028	12.07. 25	7.50%	30 माह	5160969	5159407	1562
3	033040400021846/1/ यस० बैंक लिमिटेड ऊना	12.01. 23	7500000	12.07. 25	7.50%	30 माह	9031034	9028302	2732
		योग	**30086028**				**36227726**	**36216764**	**10962**

8.1 अनुदान:-

नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) मुख्य रोकड़ बही :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	55282303.00	72602749.00	127885052.00	63864242.40	1294040.00	62726769.60
2022-23	62726769.60	94378330.00	157105099.60	61029575.00	3100000.00	92975524.60

(ii) अन्य रोकड़ बहियाँ:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	अनुदान राशि (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	7036042.80	16699773.00	23735815.80	16097392.80	5863366.00	1775057.00
2022-23	1775057.00	19966129.05	21741186.05	19969850.44	0.00	1771335.61

(iii) दिनाँक 31.03.2023 को अनुदान राशि ₹947.46 लाख व्यय हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट (ग)** पर उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि में से दिनाँक 31.03.23 को राशि ₹94746860.21 (92975524.60+1771335.61) व्यय हेतु शेष थी। जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी से समयावधि में बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाये एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना ₹1609.61 लाख:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट - (ग)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान सामान्य रोकड़ बही व अन्य रोकड़ बहियों से अनुदानों के रूप में वितीय वर्ष 2021-22 में ₹79961635.20 (63864242.40 +16097392.80) व 2022-23 में ₹80999425.44 (61029575.00+ 19969850.44) कुल ₹160961060.64 का व्यय किया गया दर्शाया गया था। लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई थी कि सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर को व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। उक्त अनुदानों से व्यय की गई राशि से सम्बन्धित

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 226 दिनाँक 20.05.23 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण से सम्बन्धित उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनाँक, बिल / वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 अंकेक्षण अवधि से पूर्व शेष बची अनुदान राशि के उपयोग करने से सम्बन्धित विवरण प्रदान न करना:-

अंकेक्षण दल को अनुदानों की प्रदान की गई विवरणी के अनुसार दिनाँक 1.04.21 को आरंभिक शेष के रूप में ₹55282303 व्यय हेतु शेष थी। उक्त राशि में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है व दिनाँक 31.03.22 को कितनी राशि व्यय हेतु शेष है, का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र पर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Sanctioning Authority	Amount Sanctioned	Year of Sanction	Purpose	Utilization Period	Unutilized amount till 03.03.23	Remarks

उक्त सूचना प्रदान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225 दिनाँक 20.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया व न ही उक्त सूचना अंकेक्षण को प्रदान की गई। अतः उक्त सूचना अंकेक्षण को प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सूचना अंकेक्षण को प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए।

9 आय:-

नगर परिषद ऊना की विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें निम्न विवरण अनुसार वर्णित किया गया है :-

1 (i) गृहकर का बकाया ₹52.88 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत्त रहता है, तो सम्बन्धित नगर परिषद/ नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद/ नगर पंचायत / नगर निगम को देयकर का भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद ऊना की दिनाँक 31.03.23 तक ₹5287674 की राशि गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –'घ'** पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। गृहकर की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 290 दिनाँक 07.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

गृहकर की बकाया राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	देय (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	छूट (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	4317351	3925221	8242572	3151437	628636	4462499
2022-23	4462499	3881270	8343769	2473694	582401	5287674

(ii) गृहकर राशि ₹21411 का सम्भावित दुरूपयोग/गबन :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 3/23 के दौरान गृहकर के रूप में जी -8 संख्या 1/ 58 से 100/ 58 तक 100 रसीदों के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार ₹293275 की वसूली की गई थी। लेकिन उक्त वसूली गई राशि से ₹271864 रोकड़ बही में दर्ज करके ₹21411 का दुरूपयोग किया गया था।

क्रम संख्या	जी-8 संख्या	दिनाँक	वसूली गई राशि (₹)	रोकड़ बही में दर्ज की गई राशि (₹)	दुरूपयोग की गई राशि (₹)
1	1/58 to 52/58	29.03.23	113815	271864	21411
2	53/58 to 77/58	31.03.23	40804		
3	78/58	Cancelled	0		
4	79/58 to 86/58	31.03.23	4746		
5	87/58	Cancelled	0		
6	88/58 to 100/58	31.03.23	133910		
		योग	**293275**	**271864**	**21411**

उक्त दुरूपयोग की गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272 दिनाँक 09.06.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः वसूली गई राशि से कम राशि जमा करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त दुरूपयोग की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) गृहकर राशि ₹69250 का संभावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी -8 संख्या 12/57 दिनाँक 27.03.23 की कार्बन कॉपी के अंतर्गत श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री कपिला देव, पुराना बस अड्डा ऊना से गृहकर बकाया राशि ₹74390 मांग ₹4860 कुल ₹79250 की राशि को पेन से काट कर ₹10000 बनाकर वसूली की गई दर्शाई थी। लेकिन उक्त कटिंग को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं करवाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रसीद के अंतर्गत वसूली गई राशि ₹79250 में कटिंग करके ₹10000 बनाकर ₹69250 (79250-10000) का दुरूपयोग किया गया था। उक्त संभावित दुरूपयोग का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271 दिनाँक 09.06.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः गृहकर के रूप में वसूली गई राशि में कटिंग को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित गृहकरदाता से नगर परिषद में जी -8 संख्या 12/57 दिनाँक 27.03.23 के अंतर्गत वास्तव में जमा करवाई गई राशि से सम्बन्धित शपथ पत्र प्राप्त करके पूर्ण जांच उपरांत यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त रसीद के अंतर्गत वास्तव में कितनी राशि वसूली गई है तथा किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज व दण्ड ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न गृहकर रजिस्टरों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिनाँक 31.03.2023 को गृहकरदाताओं के वसूली हेतु शेष राशि का विवरण उल्लेखित नहीं किया गया था व न ही पेज अनुसार योग दर्ज किए गये थे। अतः विभिन्न गृहकर रजिस्टरों में दिनाँक 31.03.2023 को गृहकरदाताओं के वसूली हेतु शेष राशि का विवरण व पेज अनुसार योग उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 (i) दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹70.78 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अपने परिधि क्षेत्र में निर्मित विभिन्न दुकानों / स्टालों / प्लाटों / खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया था तथा उन्हें किराये/पट्टे पर आबंटित किया गया था जिससे प्राप्त किराया परिषद की आय का मुख्य स्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट " ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को किराये की बकाया राशि ₹7078498 वसूली हेतु शेष थी, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू. एल. बी. एच. ए. (7) - 1/87-9237/9284 दिनाँक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे। परन्तु नगर परिषद द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए थे, जिसके कारण किराए की वसूली हेतु शेष राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही थी। उक्त वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 290 दिनाँक 07.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकानों की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः दिए प्रतियुत्तर अनुसार बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दुकान किराया की बकाया राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	देय (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किराया (₹)	अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किराया जिसको गत वर्ष में समायोजित नहीं किया गया (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	7433397	5337770	12771167	4537995	492800	466496	7273876
2022-23	7273876	5317916	12591792	5317078	196216	0	7078498

(ii) दुकान किराया अग्रिम के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित विवरणानुसार दुकान किराया अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹492800, 2022-23 में ₹196216 व गत वित्तीय वर्ष 2020-21 का ₹466496 जिसका लेखांकन गत वर्ष में नहीं किया गया था कुल ₹1155512 समायोजित की गई दर्शाई थी। लेकिन उक्त दुकान

किराया के अग्रिम के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान किराया संग्रहरण कर्मचारी द्वारा मौखिक तौर पर अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि दुकान किराया के अग्रिम के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। उक्त अभिलेख तैयार न करने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान दुकान किराया अग्रिम के रूप में समायोजित दर्शाई गई राशि की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान संभव न हो सकी। उक्त अभिलेख तैयार न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 291 दिनाँक 7.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकान किराया अग्रिम समायोजन रजिस्टर शीघ्र अति शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार उक्त अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवया जाए।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹)	अग्रिम किराये के विरुद्ध समायोजित राशि (₹)	अग्रिम किराये के विरुद्ध समायोजित राशि जिसका लेखांकन गत वर्ष में नहीं किया गया था (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	7433397	5337770	12771167	4537995	492800	466496	7273876
2022-23	7273876	5317916	12591792	5317078	196216	0	7078498

(iii) नगर परिषद ऊना द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों से अनुबंध न करना:-

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट- 'ङ-1'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.23 तक नगर परिषद ऊना द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों से अनुबंध नहीं किये गये थे। नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों से अनुबंध न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -296 दिनाँक 8.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों से अनुबंध किये जा रहे है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर परिषद द्वारा किराये

पर दी गई सभी दुकानों के दुकानदारों से अनुबंध न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी दुकानदारों से अनुबन्ध/यथासमय किये जाने सुनिश्चित किये जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान दुकान किराया रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज नहीं किये गये थे। अतः दुकान किराया रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) दुकानों को किराये पर देने से सम्बन्धित सूचना प्रदान न करना :-

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंकेक्षण दल को निम्नलिखित सूचनाएं अविलम्ब प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए।

(I) नगर परिषद ऊना की कुल कितनी दुकानें हैं

क्रम संख्या	दुकान संख्या	दुकान जहाँ स्थित है	दुकानदार का नाम	जिस तिथि से किराये पर दी गई है	अनुबन्ध हुआ है अथवा नहीं

(ii) अवधि 1.04.21 से 31.03.23 तक नगर परिषद की कितनी दुकानें खाली हैं।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया	जिस अवधि के लिए दुकान खाली रहीं	जितने माह दुकान खाली रहीं

(iii) अवधि 1.04.21 से 31.03.23 तक नगर परिषद की कितनी दुकानों के नये अनुबंध किये गये।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	अनुबंध की तिथि	मासिक किराया	नीलामी की तिथि

उक्त सूचना प्रदान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 209 दिनाँक 15.05.23 व अनुस्मारक संख्या – 9 दिनाँक 05.01.2024 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः उक्त सूचनाएं प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9.3 विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस के रूप में राशि ₹6.22 लाख वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट-'च'** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ़ीस के रूप में राशि ₹622000 वसूली हेतु शेष थे। उक्त वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 290 दिनाँक 7.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ़ीस की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः वर्णित बकाया राशि को वसूल करने हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.4 शराब उपकर की वसूली न करना:-

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-12-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब उपकर की वसूली की जानी शेष थी। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के लिए देय शराब उपकर की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा स्वतः स्पष्ट शराब उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से वर्ष अनुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि मार्च 2023 तक लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार शराब उप कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.5 (i) **विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० यस० जी० डी० (1) 9 / 94 दिनाँक 24-08-2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-22 से 31-03-23 के लिए विद्युत उपकर कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई थी| अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/ आंकड़े एकत्रित करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

(ii) **विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा स्वतः स्पष्ट विद्‌युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक विद्युत उप-कर के रूप में कितनी राशि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि मार्च 2023 तक विद्‌युत बोर्ड से लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्रप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार विद्युत उप-कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.6 (I) **घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारो ₹22.40 लाख की वसूली न करना :-**

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.23 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹2240210 की राशि वसूली हेतु शेष दर्शाई गई थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –छ** पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	वसूली गई राशि(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2021-22	0	351250x12= 4215000	4215000	2961280	1253720
2022-23	1253720	351250x12= 4215000	5468720	3228510	2240210

उक्त वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 290 दिनाँक 07.12.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः दिनाँक 31.03.23 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली हेतु शेष राशि ₹2240210 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दिए गये प्रतियुत्तर अनुसार उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, कि किस व्यक्ति /फर्म से वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान कितनी राशि वसूली हेतु आरंभिक शेष, वित्तीय वर्षों के दौरान वसूली योग्य राशि, वित्तीय वर्षों के दौरान वसूली गई राशि व दिनाँक 31.03.23 को कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी, के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि दिनाँक 31.03.23 को वसूली हेतु शेष दर्शाई गई राशि ₹2240210 किन- किन वसूलीदाताओं से वसूली जानी शेष थी। अतः उक्त अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.7 तहबाजारी के रूप में ₹10.26 लाख की कम वसूली :-

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को तहबाजारी के रूप में प्रदान की गई सूचना के अनुसार 80 नंबर रेहड़ी फड़ी वालों से दिनाँक 31.03.23 को ₹431242 वसूली हेतु शेष दर्शाई गई थी, जबकि घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार सूची में 150 नंबर रेहड़ी फड़ी वाले दर्शाए गये है, उक्त सूचना जोकि आपस में विरोधाभासी थी। अंकेक्षण को गलत सूचना प्रदान करने के कारण 70 (150-80) नंबर रेहड़ी फड़ी वाले कम दर्शाए गये थे। फलस्वरूप 150 नंबर रेहड़ी फड़ी वालों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान तहबाजारी के रूप में ₹1025962 वसूली हेतु शेष दर्शाई जानी अपेक्षित थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

(i) अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान तहबाजारी के रूप 80 नंबर रेहड़ी फड़ी के रूप में वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	0	339840 (80x4248)	339840	112760	227080
2022-23	227080	339840 (80x4248)	566920	135678	431242

(ii) जबकि 150 नंबर रेहड़ी फड़ी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान तहबाजारी के रूप में दिनाँक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	0	637200 (150x4248)	637200	112760	524440
2022-23	524440	637200 (150x4248)	1161640	135678	1025962

उक्त अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 295 दिनाँक 07.12.23 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि सूचना का विवरण एकत्र किया जा रहा है और सूचना में जो अन्तर आ रहा है उसको ठीक किया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः तहबाजारी के रूप में अंकेक्षण को गलत सूचना प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दिनाँक 31.03.2023 तक सभी रेहड़ी फड़ी वालों से तहबाजारी के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.8 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.75 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-WLF-A(3)1/97 दिनाँक 17.12.2004 द्वारा विवाह पंजीकरण नियम-2004 के तहत विवाह पंजीकरण फ़ीस के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में शीर्षक-0235-00-800-03 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹42200 व ₹33000 कुल ₹75200 की वसूली की गई थी। लेकिन उक्त वसूली गई राशि को नगर परिषद निधि खाते में ही

जमा रखा गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमों के प्रतिकूल विवाह रजिस्ट्रेशन फ़ीस को नगर परिषद निधि खाते में जमा रखने का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा परिषद स्तर पर गणना करके अब तक प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाकर, अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 स्थापना व्यय से सम्बन्धित:-

1 गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹5.19 लाख का अधिक एवं अनियमित भुगतान :-

नगर परिषद ऊना में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवापंजिकाओं एवं व्यक्तिगत नस्तियों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद ऊना में कार्यरत कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण किया गया था व गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अवधि 01.01.22 से 31.03.23 तक उक्त कर्मचारियों को ₹518714/- का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं अनियमित भुगतान हुआ था। जिसका विवरण **परिशिष्ट "ठ"** पर उल्लेखित है। नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में किये गये अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 206 दिनाँक 15.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनांक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान की वसूली की जा रही है, वसूली पूर्ण करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः दिए गये प्रत्युत्तर अनुसार उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों के गलत वेतन निर्धारण को संशोधित करते हुए अवधि 01.01.22 से 31.03.23 तक किए गए अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹518714/-की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.2 श्री सोम नाथ, लिपिक को धुलाई व वाहन भत्ते के रूप में ₹5600 अधिक एवं अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनाँक 01.12.2020 को श्री सोम नाथ, चपड़ासी को लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था। लेकिन उक्त कर्मचारी को धुलाई भत्ते के रूप में ₹150

प्रति माह व वाहन भत्ते के रूप में ₹50 प्रति माह की दर से अवधि 1.12.20 से 31.03.23 तक निम्नविवरणानुसार ₹5600 का भुगतान किया गया था। जोकि नियमानुसार देय नहीं था। फलस्वरूप श्री सोम नाथ, लिपिक को धुलाई व वाहन भत्ते के रूप में ₹5600 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि	धुलाई व वाहन भत्ते की दर	मासों की संख्या	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	श्री सोम नाथ, लिपिक	1.12.20 से 31.03.23 तक	₹150 व ₹50 = ₹200 प्रति माह	28	28x200= 5600

उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 256 दिनाँक 2.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि श्री सोम नाथ, लिपिक की वसूली करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः श्री सोम नाथ, लिपिक को धुलाई व वाहन भत्ते के रूप में ₹5600 के अधिक एवं गलत भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दिए गये प्रतियुत्तर अनुसार अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.3 स्थापना जांच रजिस्टर (E.C.R.) में दर्ज वेतन से वास्तविक वेत्तन अधिक देने के कारण ₹10190 का अधिक एवं अनियमित भुगतान

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 5/21 के अंतर्गत वेतन बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि वाउचर संख्या 34 दिनाँक 03.05.21 के अंतर्गत नगर परिषद ऊना के कर्मचारियों के स्थापना जांच रजिस्टर (E.C.R.) में दर्ज वेतन से वास्तविक में अधिक वेतन देने के कारण ₹10190 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

168

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम व पदनाम	स्थापना जांच रजिस्टर मे दर्ज वेतन (₹)	दिया गया वेतन (₹)	अधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1	श्रीमती मंजू बाला, कनिष्ठ सहायक	39693	40508	815
2	श्री सोम नाथ, लिपिक	33494	34116	622
3	श्रीमती राज रानी, चपड़ासी	27196	27775	579
4	श्री राकेश कुमार, चपड़ासी	26722	27252	530
5	श्री राजिंदर कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	79212	80609	1397
6	श्री हरजीत सिंह, मिस्त्री	29031	29491	460
7	श्री हरी राम, बेलदार	34803	35346	543
8	श्री मदन कुमार, बेलदार	34416	34959	543
9	श्री सुरिंदर कुमार, बेलदार	34463	35006	543
10	श्री दलीप सिंह, बेलदार	24707	25079	372
11	श्री कमल देव, बेलदार	22053	22425	372
12	श्री राज कुमार, बेलदार	24707	25079	372
13	श्री चौकस राम बेलदार	24707	25079	372
14	श्री कुलदीप चंद, बेलदार	24707	25079	372
15	श्री सुच्चा राम, बेलदार	24707	25079	372
16	श्री मोती लाल, बेलदार	23769	24142	373
17	श्री संजय, बेलदार	24003	24364	361
18	श्री परमजीत, बेलदार	20835	21148	313
19	श्रीमती प्रेम लत्ता, बेलदार	17128	17385	257
20	श्री मंगत राम, सफाई कर्मचारी	37453	38075	622
		607806	**617996**	**10190**

उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 257 दिनाँक 2.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889

दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को अधिक वेतन नहीं दिया गया है केवल स्थापना जांच रजिस्टर (E.C.R.) में प्रविष्टियों को दर्ज करते समय लिपिकीय गलती हो गई है। इन प्रविष्टियों को स्थापना जांच रजिस्टर (E.C.R.) में सही कर दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि न तो स्थापना जांच रजिस्टर में लिपिकीय त्रुटी को सुधारा गया था व न ही लिपिकीय त्रुटि के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया। अतः स्थापना जांच रजिस्टर (E.C.R.) में दर्ज वेतन से वास्तविक वेतन अधिक देने के कारण किए गये अधिक एवं गलत भुगतान `10190 का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक एवं अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित त्रुटियाँ :-

1) गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को ₹7884 का अधिक एवं अनियमित भुगतानः-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 5/21 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकारों को निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में गणना में त्रुटि के कारण अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(i) कार्य का नाम :- Remaining work of street for lying of pavers near H/O Som Nath towards Masihat Wali Gali street ward No. 7
संविदाकार का नाम :- श्री मनी राम
वाउचर संख्या व दिनाँक :- 58 दिनाँक 11.05.21
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 115 पेज 40

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित/ गलत भुगतान (₹)
1	Providing and laying pavers block 60mm	101.56 m2	110.08 m2	8.52 m2	800/ m2	6816

(ii) कार्य का नाम :- Remaining work of street for lying of pavers from H/O Hans Raj towards street ward No. 7

संविदाकार का नाम :- श्री मनी राम
वाउचर संख्या व दिनाँक :- 60 दिनाँक 11.05.21
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 115 पेज 39

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित/ गलत भुगतान (₹)
2	Providing and laying compacked bedding of sand	114x0.05= 5.7m3	120 x 0.05 = 6m3	0.3 m3	750/ m3	225

(iii) कार्य का नाम :- C/O drain from H/O Mohan Lal Dehl towards friends colony ward no. 1

संविदाकार का नाम :- श्री सुभाष चंद
वाउचर संख्या व दिनाँक :- 62 दिनाँक 11.05.21
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 115 पेज 84-86

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित/ गलत भुगतान (₹)
1	Excavation in drain and channels etc. in all kind of soils with all leads & lifts	5x15x.90x.70 =47.25 m3	50.62 m2	3.37 m3	250/ m3	842.50 Say off= 843

क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग (6816+225+843)= ₹7884

उक्त गणना में त्रुटि के कारण किए गये अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218 दिनाँक 18.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि संविदाकारों से वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वसूली पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः दिए गये प्रतियुत्तर अनुसार अधिक एवं अनियमित/अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों

अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.2 निर्माण /मुरम्मत कार्यों में निष्पादित अतिरिक्त मदों की दरों की गणना गलत तरीके से करने के कारण संविदाकारों को ₹1.48 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/22 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण /मुरम्मत कार्यों में निष्पादित अतिरिक्त मदों की दरों की गणना गलत तरीके से करने के कारण संविदाकारों को निम्नलिखित विवरणानुसार ₹148033 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था।

(i) **कार्य का नाम :- construction of car parking near ayurvedic hospital una in ward no.2**

संविदाकार का नाम :- kathuria construction company (proprietor iqbal singh)

बिल – द्वितीय चलित बिल

अनुमानित लागत = ₹9232311

वाउचर संख्या :- 211 दिनाँक 5-7-2022

माप पुस्तिका संख्या :- 118 पेज संख्या 17 से 22

अवार्डड राशि = ₹10899100 Above 18.05% schedule of rates 2009

कार्य समाप्ति लागत = ₹12834014

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	एक –समान मद की प्रतिशतता दर	देय दर(₹) (मानक दर सूची में उल्लेखित दर + एक – समान मद की प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
6	Providing and laying in c.c 1:3:6 (40 mm Agg.)	66.61 m3	3000/ m3	Similar item P/L C.C 1:6:12 हेतु भरी गई दर = ₹2000 मानक दर सूची के अनुसार दर=1942.50 दर प्रतिशतता =2.96% ऊपर	2585.15 + 76.52 = 2661.67	338.33 / m3	22536.16
						योग	**22536**

(ii) **कार्य का नाम :- Provision of Pavers to the Dr. Subhash street opposite indira stadium Ward No. 4**

संविदाकार का नाम :- abhishek khajanchi

माप पुस्तिका संख्या :- 116 पेज संख्या 89 से 90

वाउचर संख्या :- 232 दिनाँक 19-7-2022

अनुमानित लागत = ₹288638

अवार्डड राशि = ₹482214 Above 67% schedule of rates 2009

कार्य समाप्ति लागत =₹760687

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	मानक दर सूची में उल्लेखित दर	देय दर (₹) (मानक दर सूची में उल्लेखित दर + समग्र प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
7	Providing and laying P.V.C pipe150mm dia	229.35 RM	550/RM	277.10	277.10 + 185.65 =462.75	87.25	20010.78 say off = 20011/=

(iii) **कार्य का नाम :- Regrading of street leading to h/o suraj and others ward no. 1 :-**

संविदाकार का नाम :- श्री अभिषेक खजांची

वाउचर संख्या :- 233 दिनाँक 19-7-2022

माप पुस्तिका संख्या :- 116 पेज संख्या 88-89

अनुमानित लागत = ₹132534

अवार्डड राशि = ₹217005 Above 63.73% schedule of rates 2009

कार्य समाप्ति लागत = ₹333785

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	मानक दर सूची में उल्लेखित दर	देय दर (₹) (मानक दर सूची के अनुसार व्युत्पन दर + समग्र प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
2	Providing and laying	36.75 RM	1200/ RM	For 150mm dia= 277.10	554.20 + 353.24 =907.44	292.55	10751.21

	P.V.C pipe 300mm dia			(Calculation for 300mm dia= 277.10+277-10=554.20)			
						योग	₹10751

(iv) **कार्य का नाम :- Annual repair and maintenance of street and drains in ward no. 9,10 and 11**

संविदाकार का नाम :- varun puri

वाउचर संख्या :- 235 दिनाँक 19-7-2022

माप पुस्तिका संख्या :- 117 पेज संख्या 4

अनुमानित लागत = ₹668656

अवार्डड राशि = ₹1090833 Above 63.08% schedule of rates 2009

कार्य समाप्ति लागत = ₹601979

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	मानक दर सूची में उल्लेखित दर	देय दर (₹) (मानक दर सूची के अनुसार व्युत्पन दर + समग्र प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
7	Providing and laying P.V.C pipe 200mm dia	64.65 RM	1200/RM	For 150 mm dia= 277.10 (Calculation for 200mm dia= 277.10/150X200= 369.46	369.46+ 233.05 =602.51	597.49	38627.72
8	Providing and laying P.V.C pipe 300mm dia	58RM	1675/RM	For 150mm dia= 277.10 (Calculation for 300mm dia= 277.10+277-10=554.20)	554.20 + 349.58 =903.78	771.22	44730.76
9	Providing and laying R.C.C pipe 300mm dia	15RM	1900/RM	700	700+441.56 =1141.56	758.46	11376.6
						योग	94735.08

क्रम संख्या (i) से (iv) तक का कुल योग (22536 +20011+10751+94735) = 148033

उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-263 दिनाँक 7.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि संविदाकारों को अतिरिक्त मदों की दर ओवर आल प्रतिशतता के आधार पर किया गया है । किसी विशिष्ट दर की गणना के अनुसार दर प्रतिशतता निकाल कर भुगतान करना संविदाकार मान्य नहीं करना है । उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों में अतिरिक्त मदों की दरों की गणना गलत तरीके से नियमों के विपरीत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि ₹148033 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा अधिक एवं गलत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी /कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.3 गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को ₹0.67 लाख का अधिक एवं अनियमित भुगतानः-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/22 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकारों को निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में गणना में त्रुटि के कारण निम्नलिखित विवरणानुसार ₹66840 का अधिक एवं गल्त भुगतान किया गया था।

(i) (a) श्री इकबाल सिंह मै. कथूरिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी) संविदाकार को गणना में त्रुटि के कारण ₹26578 का अधिक एवं गलत भुगतानः-

कार्य का नाम :- C/o Car parking near Distt. Ayurvedic Hospital ward no. 2 M.C. Una (SH:- Building Portion)
बिल :- द्वितीय चलित बिल
संविदाकार का नाम :- श्री इकबाल सिंह (मै. कथूरिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी)
वाउचर संख्या व दिनाँक :- 211 दिनाँक 5.07.22
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 118 पेज 17-22

(i) निष्पादित मात्रा के वास्तविक योग से अधिक योग दर्शाकर अधिक एवं अनियमित भुगतानः-

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा का योग	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	भार (Rmt x factor)	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
7	P/L tor steel reinforcement u/c bending binding and placing in position complete column1st to 2nd floor **Ramp Pedestal beam Tor Steel 10mm**	25882.57 Rmt	26068.67 Rmt	186.10 Rmt	186.10 x 0.62= 115.382 किलोग्राम	70 प्रति किलोग्राम	8076.74 Say off= 8077
7	Column D1D7, E1E7, F1F7,G1G7, H1H7 **Tor Steel 8mm**	4841.26 Rmt	4911.26 Rmt	70 Rmt	70 x 0.39= 27.300 किलोग्राम	70 प्रति किलोग्राम	1911
						योग	**9988**

(ii) निष्पादित वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा दर्शाकर अधिक एवं गल्त भुगतान :-

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
4(i)	Form work steel plates so as to give a fair finish- Flat surface slab D1D7 to H1 H6	1x4x4.74x5.05 = 95.748 m2	110.91 m2	15.162 m2	213/ m2	3229.50 say off 3230/=
8	P/L RCC work in m25 mix and curing complete in column **Beam Ramp**	2x5.56x.60x.45 = 3 m3	4 m3	1/ m3	4450/ m3	4450
					योग	**7680**

क्रम संख्या (i) व (ii) का कुल योग (9988+7680)= ₹17668

(b) कार्य का नाम :- C/o Car parking near Distt. Ayurvedic Hospital ward no. 2 M.C. Una (SH:- Building Portion)

बिल :- प्रथम चलित बिल

संविदाकार का नाम :- श्री इकबाल सिंह (मै. कथूरिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी)

माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 118 पेज 1-17

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
8/6	P/L mechanically mixed and vibrated m/o concrete **R/wall near transformer**	5x(1.5+0.9)/2x.45 =2.7 m3	5.40 m3	2.7 m3	3300/ m3	**8910**

क्रम संख्या (a) व (b) (17668 +8910) = 26578

(ii) श्री महेश अंगरा संविदाकार को गणना में त्रुटि के कारण ₹19094 का अधिक एवं गलत भुगतान :-

कार्य का नाम :- Repair of path infornt of house of Sh. Arvind Sood S.E. Jal Shakti vibhag Mohala Arya Nagar Ward No. 1 M.C. Una.

बिल :- प्रथम व अंतिम बिल

संविदाकार का नाम :- श्री महेश अंगरा

वाउचर संख्या व दिनॉक :- 229 दिनॉक 15.07.22

माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 117 पेज 82-83

मद संख्या	मद का नाम	मूल्यांकन में दर्ज मात्रा (Qty in Assessment)	बिल में दर्ज मात्रा (Qty in Bill)	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
4	Form work of steel plates so as to give a fair finish-	24.93 m2	178.55 m2	153.62 m2	99/ m2	15208.38 say off 15208/=
5	P/L in C.C. 1:3:6	178.55 m2 x.125 = 22.32 m3	188.95 m2 x 0.125 = 23.62 m3	1.3 m3	2989/ m3	3885.70= Say off 3886/=
					योग	**19094**

(iii) श्री वरुण पुरी संविदाकार को गणना में त्रुटि के कारण ₹15713 का अधिक एवं गलत भुगतान :-

कार्य का नाम :- ARM (Annual repair and maintenance) of M.C. street and drains in ward no. 9, 10 &11 M.C. Una

बिल :- तृतीय चलित बिल

संविदाकार का नाम :- श्री वरुण पुरी

वाउचर संख्या व दिनाँक :- 235 दिनाँक 19.07.22

माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 115 पेज 77-78 व 117 पेज 4

(a) :-

मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक निष्पादित मात्रा	दर्ज की गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
3	P/L interlocking cone block pavement having thickness 60 mm thick	10x(2.35+2.2)/2= 22.75 m2	27.50 m2	4.75 m2	800/ m2	3800
4	P/L compacked bedding of sand	102.49x0.05= 5.125 m3	107.24x0.05= 5.36 m3	0.235 m3	489.20/ m3	114.96/= Say off = 115/=
					योग	**3915**

(b) :-

मद संख्या	मद का नाम	मूल्यांकन में दर्ज मात्रा (Qty in Assessment) MB 115 page-77	बिल में दर्ज मात्रा (Qty in Bill) MB 117 page-4	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
6	Excavation in drain and channel etc.	17.46 m3	64.65 m3	47.19 m3	250/ m3	11797.50 say off 11798/=

क्रम संख्या (a) व (b) तक का कुल योग (3915+11798)= ₹15713

(iv) श्री प्रफुल्ल वेदी संविदाकार को गणना में त्रुटि के कारण ₹5455 का अधिक एवं गलत भुगतान :-

कार्य का नाम :- Provision of Pavers to the street from H/O Gurmail Kaur towards main gate Ward No. -2 Una.

बिल :- द्वितीय व अन्तिम बिल
संविदाकार का नाम :- श्री प्रफुल्ल वेदी
वाउचर संख्या व दिनाँक :- 245 दिनाँक 28.07.22
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या :- 117 पेज 53-56 व 58

मद संख्या	मद का नाम	मूल्यांकन में दर्ज मात्रा (Qty in Assessment) MB 117 page-55	बिल में दर्ज मात्रा (Qty in Bill) MB 117 page-58	अन्तर	दर	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
7	Excavation in earth work in piece work	10.67 m3	53.34 m3	42.67 m3	127.85/ m3	5455

क्रम संख्या (i) से (iv) तक का कुल योग (26578+19094+15713+5455)= ₹66840

उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261 दिनाँक 7.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या: एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि सम्बन्धित संविदाकारों से अधिक भुगतान की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगामी अंकेक्षण तक पूर्ण करके अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों में गणना में त्रुटि के कारण संविदाकारों को किए गये अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹66840 का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दिए गये प्रतियुत्तर अनुसार उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान की वसूली सभी सम्बन्धित संविदाकारों से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.4 निर्माण /मुरम्मत कार्यों में निष्पादित अतिरिक्त मदों की दरों की गणना एक-समान मद हेतु सविंदाकार द्वारा टेंडर में भरी गई दर के अनुसार न करने के कारण संविदाकारों को ₹14401 का अधिक एवं अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 5/21 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में निष्पादित अतिरिक्त मदों की दरों की गणना एक-समान मद हेतु सविंदाकार द्वारा टेंडर में भरी गई दर की मानक दर अनुसूची 2009 से प्रतिशतता के अनुसार न करके टेंडर की कुल प्रतिशतता पर करने कारण संविदाकारों को निम्नलिखित विवरणानुसार ₹14401 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

(i) कार्य का नाम :- Provision of Retaining wall to the remaining portion of street to mohalla Neelghat street near Shailza Vihar Colony Street in ward no. 11
संविदाकार का नाम :- श्री अभिषेक खजांची
वाउचर संख्या :- 48 दिनाँक 11-5-2021
माप पुस्तिका संख्या :- 115 पेज संख्या 69 से 71
अवार्डड राशि = ₹126390 Above 54.88%
कार्य की कुल लागत = ₹214716

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	एक -समान मद की प्रतिशतता दर	देय दर (₹) (मानक दर सूची में उल्लेखित दर + एक -समान मद की प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
3	Providing and laying in c.c 1:2:4 (40mm Agg.)	1.80 m3	4848.05/ m3	Similar item P/L C.C 1:6:12 हेतु भरी गई दर = ₹2800 मानक दर सूची के अनुसार दर=1942.50 दर प्रतिशतता =44.14% ऊपर	3130.20 + 1381.67 = 4511.87	336.18/ m3	605.12
5	Providing and laying in c.c 1:2:4 (20mm Agg.)	14.98 m3	5102.80/ m3	Similar item P/L C.C1:6:12 हेतु भरी गई दर = ₹2800 मानक दर सूची में दर=1942.50 दर प्रतिशतता =44.14% ऊपर	3165.90+ 1397.42 = 4563.32	539.48/ m3	8081.41
						योग	**8686.53**

(ii) कार्य का नाम :- Provision of Pavers to the street pull bala bazaar towards Moh. Jole Latrine Ward No. 11
संविदाकार का नाम :- श्री प्रफुल्ल बेदी
माप पुस्तिका संख्या :- 115 पेज संख्या 69 से 71
वाउचर संख्या :- 70 दिनाँक 11-5-2021
अनुमानित लागत = ₹432908
अवार्डड राशि =₹702200 Above 66.36%
कार्य की कुल लागत = ₹760687

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	एक -समान मद की प्रतिशतता दर	देय दर (₹) (मानक दर सूची में उल्लेखित दर + एक -समान मद की प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
5	Providing and laying in c.c 1:4:8	13.40 m3	3814.80/ m3	Similar item P/L C.C 1:2:4 हेतु भरी गई हेतु भरी गई दर	2293.10 + 1369.66 =3662.76	152.03/ m3	2037

180

				₹3130.20 मानक दर सूची में दर=1869.80 दर प्रतिशतता =59.73% ऊपर			

(iii) कार्य का नाम :- Provision of pavers to the street from Bhat Shop to the shop of master Ramesh ward no. 1

संविदाकार का नाम :- श्री तिलक राज

वाउचर संख्या :- 74 दिनाँक 11-5-2021

माप पुस्तिका संख्या :- 116 पेज संख्या 3

अनुमानित लागत = ₹617255

अवार्डड राशि = ₹1027825 Above 66.51%

कार्य की कुल लागत = ₹1164379

मद संख्या	अतिरिक्त निष्पादित मद का नाम	निष्पादित मात्रा	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	एक -समान मद की प्रतिशतता दर (Derived rate)	देय दर (₹) (मानक दर सूची में उल्लेखित दर + एक -समान मद की प्रतिशतता)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
6	Providing and laying in c.c 1:3:6	10.56 m3	4304.50/ m3	Similar item P/L C.C 1:2:4 हेतु भरी गई दर = ₹3130.20 मानक दर सूची में दर=1869.80 दर प्रतिशतता =59.73% ऊपर	2585.15 + 1544.11 = 4129.26	175.24/ m3	1850.53
4	Providing and laying in cement concrete 1:1 ½ :3	7.50 m3	5985.35/ m3	Similar item P/L C.C 1:2:4 हेतु भरी गई दर = ₹3130.20 मानक दर सूची में दर=1869.80 दर प्रतिशतता =59.73% ऊपर	3594.60 + 2147.05 = 5741.65	243.70/ m3	1827.75
						योग	**3678.28**

क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग (8686+2037+3678) = 14401

उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217 दिनाँक 18.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि संविदाकारों को अतिरिक्त मदों की दर ओवर आल प्रतिशतता के आधार पर किया गया है। किसी विशिष्ट दर की गणना के अनुसार दर प्रतिशतता

निकाल कर भुगतान करना संविदाकार मान्य नहीं करना है । उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/ मुरम्मत कार्यों में अतिरिक्त मदों की दरों की गणना एक-समान मद हेतु सविदाकार द्वारा टेंडर में भरी गई दर की मानक दर अनुसूची 2009 से प्रतिशतता के अनुसार न करके नियमों के विपरीत टेंडर की कुल प्रतिशतता पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹14401 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.5 अतिरिक्त मदों की दर की गणना मानक दर सूची में उल्लेखित दरों से अधिक दरों पर करने के कारण संविदाकारों को ₹0.68 लाख का अधिक एवं अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 5/21 के दौरान निर्माण /मुरम्मत कार्यों के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न कार्यों में संविदाकारों द्वारा निष्पादित अतिरिक्त मदों की दर की गणना मानक दर सूची में उल्लेखित दरों से अधिक दरों पर करने के कारण निम्नविवरणानुसार ₹67887 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

(i) कार्य का नाम :- Provision of Pavers to the street Sant Tope Wala W. No. 1
संविदाकार का नाम :- श्री शिव कुमार कपिला
शीर्ष का नाम :- चौदहवें वित्तायोग
अवार्ड पत्र संख्या:- 1272 दिनांक 2.07.20
माप पुस्तिका संख्या :- 115 पेज संख्या 80
जिस दर पर कार्य आवंटित किया गया = 65% ऊपर मानक दर सूची 2009
वाउचर संख्या :- 43 दिनांक 11.05.21
कार्य की कुल लागत :- ₹206778

मद का नाम	निष्पादित मात्रा	मानक दर सूची में दर (₹)	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	अन्तर (₹)	अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)	प्रीमियम की प्रतिशतता 65%	कुल अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
Steel work welded in built up section	5.70 क्विंटल	7569	9000	1431	8156.70	5301.85	13458.55 Sayoff= 13459

(ii) कार्य का नाम :- Provision of Pavers to the street opposite to H/O Prem Adeev master Ward No. 1
संविदाकार का नाम :- श्री शिव कुमार कपिला
शीर्ष का नाम :- चौदहवें वित्तायोग
अवार्ड पत्र संख्या:- 1751 दिनाँक 11.08.20
जिस दर पर कार्य आवंटित किया गया = 65% ऊपर मानक दर सूची 2009
माप पुस्तिका संख्या :- 115 पेज संख्या 81
वाउचर संख्या :- 45 दिनाँक 11.05.21
कार्य की कुल लागत :- ₹185990.93

मद का नाम	निष्पादित मात्रा	मानक दर सूची में निर्धारित दर (₹)	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)	प्रीमियम की प्रतिशतता 65%	कुल अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
Steel work welded in built up section	2.62 क्विंटल	7569	9000	1431	3749.22	2436.89	6186.21 Sayoff= 6186

(iii) कार्य का नाम :- Provision of Underground drainage to the street of Chander Lok Colony near H/O Nardev Thakur ward No. 4
संविदाकार का नाम :- श्री सतीश कुमार
शीर्ष का नाम :- चौदहवें वित्तायोग
अवार्ड पत्र संख्या:- 1650 दिनाँक 28.07.20
जिस दर पर कार्य आवंटित किया गया = 65% ऊपर मानक दर सूची 2009
वाउचर संख्या :- 68 दिनाँक 11.05.21
माप पुस्तिका संख्या :-116 पेज संख्या 16-17
कुल किया गया कार्य :- ₹219555

मद का नाम	निष्पादित मात्रा	मानक दर सूची में निर्धारित दर (₹)	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)	प्रीमियम की प्रतिशतता 65%	कुल अधिक एवं अनियमित भुगतान (₹)
Steel work welded in built up section	7.08 क्विंटल	7569	9000	1431	10131.48	6585.46	16716.94 Sayoff= 16717

(iv) कार्य का नाम :- Provision of Pavers and under ground drain to Mani Ram street ward no. 7
संविदाकार का नाम :- श्री सौरव लाम्बा
शीर्ष का नाम :- चौदहवें वित्तायोग
अवार्ड पत्र संख्या:- 1271 दिनाँक 2.07.20
जिस दर पर कार्य आवंटित किया गया = 65% ऊपर मानक दर सूची 2009
कार्य की कुल लागत :- ₹141290.97
वाउचर संख्या :- 43 दिनाँक 11.05.21
माप पुस्तिका संख्या :-116 पेज संख्या 16-17

मद का नाम	निष्पादित मात्रा	मानक दर सूची में निर्धारित दर (₹)	देय दर (मानक दर सूची में निर्धारित दर + 65% ऊपर)	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
P/L P.V.C. Pipe 150 mm dia	146.40	277.10	277.10 + 180.11 (277.10 x 65%) = 457.21	550	92.79	13584.45 = say off = 13584

(v) कार्य का नाम :- Provision of Pavers to the street H/O Harish Dhiman to Vijay Kasturi Ward no.4
संविदाकार का नाम :- श्री वरुण मेनन
अवार्ड पत्र संख्या:- 2207- 2213 दिनाँक 16.09.20
अवार्डड राशि= ₹832937 i.e. 66.28% ऊपर
कार्य समाप्ति की लागत :- ₹971941.27
वाउचर संख्या :- 71 दिनाँक 11.05.21
माप पुस्तिका संख्या :-115 पेज संख्या 67

मद संख्या	अतिरिक्त मद का नाम	निष्पादित मात्रा	मानक दर सूची में निर्धारित दर (₹)	देय दर (मानक दर सूची में निर्धारित दर + 66.28% ऊपर)	जिस दर पर भुगतान किया गया (₹)	अन्तर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
5	P/L P.V.C. Pipe 150 mm dia	128.85	277.10	277.10 + 183.66 (277.10 x 66.28%) = 460.76	600	139.24	17941

क्रम संख्या (i) से (v) तक का कुल योग (13459+6186+16717+13584+17941)= ₹67887

उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 216 दिनाँक 18.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा /2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक भुगतान की राशि सम्बन्धित संविदाकारों से वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आगामी अंकेक्षण तक वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः दिए गये प्रतियुत्तर अनुसार अधिक एवं अनियमित भुगतान की गई राशि ₹67887 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.6 रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹1.30 लाख की हानि :-

हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या उद्योग-II(F) 6-5/2006 दिनाँक 16-01-2012 के अनुसार रेत बजरी व पत्थर हेतु रॉयलटी की दर ₹40 प्रति मीट्रिक टन व हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या उद्योग-II(F) 6-14/2014-Vol-I दिनाँक 10.02.22 के अनुसार रेत बजरी व पत्थर हेतु रॉयलटी की दर ₹80 प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 5/2021 व 7/2022 के दौरान नगर परिषद ऊना द्वारा करवाए गए निर्माण/मुरम्मत कार्यों में ठेकेदारों से उपयोग की गई सामग्री के समर्थन में कोई भी अभिलेख/ (एम फॉर्म) प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिससे कि सत्यापित किया जा सके कि उपयोग में लाई गई सामग्री जैसे कि रेत, बजरी, पत्थर, ईंट आदि अधिकृत एवं कानूनी स्रोत से प्राप्त की गई थी जोकि नियमों की गम्भीर अवहेलना है। नियमानुसार एम फॉर्म प्रस्तुत न करने की अवस्था में सम्भवतः सरकार को आय के रूप में ₹130457 की हानि हुई है। जिसका विवरण **परिशिष्ट- 'ज'** पर दिया गया है। "एम" फार्म प्राप्त न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 264 दिनाँक 07.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा /2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि संविदाकारों से वसूली प्रक्रिया शुरू करके व वसूली पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः ठेकेदारों से प्रयोग की गई सामग्री के एवज में एम फार्म प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया

185

जाए व उक्त फार्म प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किये जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.7 देरी से कार्य निष्पादन करने के बावजूद राशि ₹14.21 लाख की विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करना।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/22 के दौरान करवाए गए निर्माण/मुरम्मत कार्यों के अवलोकन पर पाया गया कि जिन संविदाकारों द्वारा कार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं किया था, उनसे अवार्ड पत्र की शर्तों के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाना अपेक्षित था, क्योंकि न तो सम्बन्धित संविदाकारों द्वारा समय बढ़ौत्तरी हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन किया था व न ही सम्बन्धित संविदाकारों को समय बढ़ौत्तरी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी व सदन द्वारा प्रदान की गई थी | देरी से कार्य निष्पादित करने के फलस्वरूप सम्बन्धित संविदाकारों से विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹1421005 की हानि हुई है :-

अवार्ड पत्र की शर्तों के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करना ₹1421005:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	वाउचर संख्या/ दिनाँक व संविदाकार का नाम	अवार्ड पत्र संख्या व अवार्डड राशि	कार्य समाप्ति की अवधि	माप पुस्तिका संख्या,पेज संख्या व कुल किया गया कार्य	कार्य आवंटन पत्र की शर्त-1के अनुसार कार्य समाप्ति की अपेक्षित तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	जितने दिन देरी से देरी से खत्म किया	अवार्ड पत्र की शर्त के अनुसार निर्धारित विलम्ब दण्ड शुल्क की दर	विलम्ब दण्ड शुल्क	वसूली योग्य दण्ड शुल्क (₹)
1	Construction of Car Parking near District Ayurvedic Hospital w.no. 2 MC Una. (SH Building Portion)	211/ 5.07.22 मै० इकबाल सिंह (कपूरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी)	1516 dt 15.06.21 ₹10899100	6 माह	118 पेज 17 से 22 ₹4812478	14.12.21	दिनाँक 31.07.22 तक कार्य पूर्ण नही हुआ है।	दिनाँक 31.07.22 तक 229 दिन	₹6055 प्रति दिन या अधिकतम ₹1089910	₹6055 X 229 = ₹1386595	1089910
2	Repair of Path infront of house of Sh Arvind Sood S.E. Jal Shakti Vibhag Mohalla Nagar, ward no. 1 M.C. Una.	229/ 15.07.22 श्री महेश अगरा	3872 dt 26/02/22 ₹286635	2 माह	117/82 ₹309311	26.04.22	30.06.22	65 दिन	478 प्रति दिन या अधिकतम ₹28664	₹478 X 65= ₹31070	28664

3	Reconstruction of drain in moh. Nakian ward no. 5 near over head water tank	237/ 19.07.22श्री मोहित बेदी	4695 dt 28/04/2022 ₹919716	2 माह	117/78-80 ₹493068	28.06.22	दिनाँक 31.03.23 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।	276 दिन	1533 प्रति दिन या अधिकतम 91977	₹1533 X 276= ₹423108	91972
4	C/O Compost Pits for SWM Project Site MC Una at Village Rampur Distt. Una H.P.	239/ 19.07.22 Ess Kay Engg. Works	3504 01/02/22 ₹765899	2 माह	117/ 74-77 ₹845216	1.04.22	4.07.22	94 दिन	1277 प्रति दिन या अधिकतम ₹76590	₹1277 X 94= ₹120038	76590
5	C/O additional block of 12 no.s compost pits for for SWM Project Site MC Una at Village Rampur Distt. Una H.P.	238/ 19.07.22 Ess Kay Engg. Works	3993 dt 11/03/2022 ₹765899	2 माह	117/ 77-78 ₹845216	11.05.22	2.07.22	52 दिन	1280 प्रति दिन या अधिकतम ₹76690	₹1280 X 52 = ₹66560	66560
6	C/o Rain shelter in ward no. 9 & 11 Una.	243/ 28.07.22 M/S Ess Kay Engg. works	717 dt 17/03/2018 ₹673087	3 माह	116/ 80-82 ₹175371	17.06.18	दिनाँक 31.03.23 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।	1748 दिन	748 प्रति दिन या अधिकतम ₹67309	₹748 X 1748 = ₹1307504	67309
										योग	**1421005**

उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों को देरी से निष्पादित करने के कारण संविदाकारों से विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करने के कारण नगर परिषद को ₹1421005 की हानि हुई है। उक्त विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262 दिनाँक 07.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि उपरोक्त विषय पर नियमानुसार कार्रवाई करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्माण / मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों से अवार्ड पत्र की शर्तों के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व विलम्ब दण्ड की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से ₹1421005 की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.8 प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर ₹478.57 लाख के निर्माण/मुरम्मत कार्यों का निष्पादन :-

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला -2, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: यू० डी० – ए० (3) 5/2007 दिनाँक 10-03-2010 के नियम 2(3) के अनुसार नगर पालिका ₹5 लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान राशि ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बगैर किया गया है। जोकि अनियमित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना करवाए गए **₹47857308** के निर्माण/मुरम्मत कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या व दिनाँक	अनुमानित राशि (₹)
1	2021-22	Shifting the office of Municipal Council Una in the upper floor of Parking cum Shopping complex situated at Arvind Marg	3637 dt 31/12/2019	567544.00
2	2021-22	Extension of street and drain from h/o Madhu Saini and towards h/o Hari Pal Saini W.no. 1 MC Una.	2497 dt 06/10/2020	661932.00
3	2021-22	Provision of pavers to the street infront of h/o Ranjit Saini, Jatinder Saini, ADA Sanjiv Bherwal Moh. Arya Nagar and Vikram Singh	2117 dt 15/09/2020	645307.00
4	2021-22	Provision of pavers to the street from h/o Harish Dhiman to Vijay, Kasturi Lal to Tilak Raj Dhiman and to h/o Ravinder kumar and Chawala Furniture workshop to Arvind Kumar Moh. Khadpar w.no. 4 MC Una.	2207 dt 16/09/2020	500908.00

5	2021-22	ARM of MC street and drains in ward no. 9,10 and 11 MC Una.	2437 dt 30/09/2020	668856.00
6	2021-22	C/o drain from h/o Mohan Lal Dehal towards Friends colony, Improvement of Nalalha Sant Tope Wale and drainage in Shashi Bala street W.no. 1 MC Una.	2302 dt 19/09/2020	661995.00
7	2021-22	Improvement of drain from Katna well towards Moh. Jole w.no. 7 MC Una.	2323 dt 19/09/2020	697461.00
8	2021-22	C/O Gym room in MC Park near old Post office, Ward no. 8, M.C. Una.	4563 dt 19/04/2022	786009.00
9	2021-22	Construction of Park backside to Amol Kalia Petrol Pump Moh. Khadpar w.no. 4 M.C. Una. (SH: Site development and filling.)	2195 dt 25/08/2021	848207.00
10	2021-22	Provision of pavers and underground drainage to the street from Main bazar street Jn and towards h/o Sh Ananat Vir Singh M. Councillor w.no. 9 MC Una.	2424 dt 30/09/2020	702508.00
11	2021-22	C/O Compost Pits for SWM Project Site MC Una at Village Rampur Distt. Una H.P.	3504 01/02/2022	816924.00
12	2021-22	C/O additional block of 12 no.s compost pits for for SWM Project Site MC Una at Village Rampur Distt. Una H.P.	3993 dt 11/03/2022	816924.00
13	2022-23	Reconstruction of drain in moh. Nakian ward no. 5 near over head water tank	4695 dt 28/04/2022	867703.00
14	2022-23	Extension of street light MC Una for the year 2022-23.	5072 dt 21/06/2022	902500.00

		(SH: Providing and fixing L.E.D street light fixtures).		
15	2022-23	Construction of Car Parking near District Ayurvedic Hospital w.no. 2 MC Una. (SH: Building Portion).	1516 dt 15/06/2021	9232311.00
16	2022-23	Construction of Vending Zone Market, M.C. Una in ward no. 3 near Zila Parishad office Una.	1515 dt 15/06/2021	9410995.00
17	2022-23	Provision of pavers and steel chambers to the street from h/o Mani Ram to Hakeema shop and from h/o Harbans to Main Bazar and near h/o Shammu Tikki wale ward no. 7 MC Una.	5485 dt 15/07/2022	883093.00
18	2022-23	Provision of Paver flooring to the open Car Parking near Rotary Chowk ward no.1 MC Una.	5604 dt 28/07/2022	1879365.00
19	2022-23	Shifting the office of Municipal Council Una in the upper floor of Parking cum Shopping complex situated at Arvind Marg Una (HP).	3637 dt 31/12/2019	567544.00
20	2022-23	Pavement of road infront of SWM Project Site at Vill. Rampur M. C. Una.	3791 dt 22/02/2022	944790.00
21	2022-23	Construction of Park near Amol Kalia Petrol Pump Moh. Khadpar ward no. 4 MC Una.	5611 dt 28/07/2022	6762508.00
22	2022-23	C/O Compost Pits for SWM Project site at Village Rampur for MC Una Phase-II. Distt. Una H.P.	4463 dt 08/04/2022	969656.00
23	2022-23	Provision of Pavers and underground drainage to the street from h/o Raksha Dogra	5484 dt 15/07/2022	594883.00

		to DAV school street ward no. 4 MC Una.		
24	2022-23	Construction of Vending Zone Market, M.C. Una in ward no. 3 near Zila Parishad office Una. (SH: Provision of Rolling shutters).	5481 dt 15/07/2022	1588612.00
25	2022-23	Construction of Park in Chanderlok Colony Moh. Khadpar ward no. 4 MC Una.	3806 dt 24/02/2022	2891719.00
26	2022-23	Construction of Material Recovery Facilities at SWM Project site Vill. Rampur for M.C. Una (HP).	5482 dt 15/07/2022	1987054.00
			योग	**47857308**

उक्त निर्माण/मुरम्मत कार्यों की प्रशासनिक अनुमोदन न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-213 दिनाँक 18.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा /2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्ति की अनुपालना करते हुए सभी कार्यों की प्रशासनिक अनुमोदन निदेशक शहरी विकास विभाग से लेकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान राशि ₹5 लाख से अधिक के निर्माण/मुरम्मत कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रतियुत्तर अनुसार ₹47857308 के निर्माण/मुरम्मत कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन निदेशक, शहरी विकास विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11.9 संविदाकारों के बिलों से श्रमकर के रूप में राशि ₹8.21 लाख की कटौती न करना :-

(i) संविदाकारों के बिलों से श्रमकर ₹775139 की कटौती न करना:-

"Building and other construction workers welfare cess act, 1996 के नियम 3(1) के अनुसार संविदाकारों के बिलों से 1% प्रतिशत की दर से श्रमकर की कटौती की जानी अनिवार्य थी"। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान करवाए गये निर्माण/मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों के बिलों से श्रमकर

1% प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान श्रम कर के रूप में **परिशिष्ट – 'झ'** पर उल्लेखित विवरणानुसार ₹775139.50 (7,75,13,950 x 1%) की कम वसूली की गई है। उक्त श्रमकर की कटौती न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 212 दिनाँक 18.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा /2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि श्रमकर की वसूली संविदाकारों से करना शुरू कर दी है और आगामी अंकेक्षण तक वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान निर्माण /मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों के बिलों से श्रमकर ₹775139.50 की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रतियुत्तर अनुसार उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा श्रमकर की कटौती न करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) संविदाकारों के बिलों से श्रमकर ₹46135 की कटौती न करना :-

"Building and other construction workers welfare cess act, 1996 के नियम 3(1) के अनुसार संविदाकारों के बिलों से 1% प्रतिशत की दर से श्रमकर की कटौती की जानी अनिवार्य थी"। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार एन.यू. एल. एम. निधि से करवाए गये निर्माण/मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों के बिलों से श्रमकर 1% प्रतिशत की दर से कटौती नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप नगर परिषद ऊना को निम्न विवरणानुसार ₹46135 (4613466 x 1%) की कम वसूली की गई है। उक्त श्रमकर की कटौती न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनाँक 2.01.24 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः एन.यू. एल. एम. रोकड़ बही निर्माण / मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों के बिलों से श्रमकर ₹46135 की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा कटौती न करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अवार्ड पत्र संख्या दिनाँक	अवार्डड राशि (₹)	कुल किया गया कार्य (₹)	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	संविदाकार का नाम (श्री /श्रीमती)	भुगतान की तिथि
1.	Project:- Shelter for urban Homeless Municipal Council Una (H.P.) (Sh:- c/o Common toilet for Rehan Basera	MCU/Award letter/2021-617 dt 2.03.21	429899	279937	115/88-91	Rajinder Kumar	27.05.21
2.	Project:- Shelter for urban Homeless Municipal Council Una (H.P.) (Sh:- Refurbishment of Rehan Basera)	MCU/Award letter/2021-616 dt 2.03.21	457670	415293	115/ 95-97	Prafull Bedi	19.07.21
3.	Project:- Shelter for urban Homeless Municipal Council Una (H.P.) (Sh:- Refurbishment of Rehan Basera)	MCU/Award letter/2021-616 dt 2.03.21	457670	92498	117/ 50-53	Prafull Bedi	7.06.22
4.	Project:- Shelter for urban Homeless Municipal Council Una (H.P.) (Sh:- c/o Common toilet for Rehan Basera	MCU/Award letter/2021-617 dt 2.03.21	429899	334713	116-44 to 51	Rajinder Kumar	25.03.22
5.	C/O Vending Zone Market Municipal Council in ward no. 3 near Zila Parishad Office Una	MCU/Award letter/2021-1515 dt 15.06.21	10279784	3491025	119/1 to 7	Anil Kumar Vashist	6.06.22
			योग	**4613466**			
		श्रमकर की राशि (4613466 x1%)		**46135**			

11.10 **निर्माण कार्य "C/o Car parking near Distt. Ayurvedic Hospital ward no. 2 M.C. Una (SH:- Building Portion)" से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे**

अंकेक्षण अधियाचना- 254 दिनाँक 02.06.23 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना से निर्माण कार्य "C/o Car parking near Distt. Ayurvedic Hospital ward no. 2 M.C. Una (SH:- Building Portion)" से सम्बन्धित अभिलेख अविलम्ब प्रदान करने हेतु करने अनुरोध किया गया था।

(i) संरचनात्मक ड्राइंग (Structural Drawing)
(ii) आर्किटेक्चरल ड्राइंग (Architectural Drawing)
(iii) तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction)
(iv) प्रशासनिक अनुमोदन (Administrative Approval)

(v) विभागीय न्यायोचिता (Departmental Justification)

जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि उपरोक्त विषय पर वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। जबकि वास्तव में उपरोक्त मांगी गई सूचना में से क्रम संख्या (i), (ii) व (iv) के सन्दर्भ में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रदान नहीं किया गया। अतः गलत प्रतियुतर प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख इस विभाग में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11.11 विभिन्न विभागों को निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु प्रदत्त अग्रिम ₹26.46 लाख का समायोजन न करना :-

नगर परिषद ऊना द्वारा निम्न विभागों को निक्षेप निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थीं। जिनमें से दिनाँक 31.03.23 तक निम्नानुसार व (**परिशिष्ट –"ञ")** पर उल्लेखित ₹2646438 समायोजित की जानी शेष थी। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दिनाँक 31.03.2023 तक असमायोजित अग्रिमों ₹2646438 की वसूली/समायोजन हेतु नियमानुसार अविलम्ब ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	मास	उदेश्य	राशि
1	SDO Electricity Sub Division No. 1 Una	4/74	Installation of New Points in Moh. Ohriyan	66.00
2	SDO Electricity board Una	6/74	Installation of street light points	243.00
3	SDO Electricity Sub Division No. 1 Una	6/74	Installation of street light points in the park near rest house	1008.00
4	Executive Engineer HPSEB Division Una	5/75	Installation of street light points	189.00
5	Executive Engineer HPSEB Division Una	6/82	Installation of street light points	12632.00
6	Asstt. Executive Engineer PSEB Sub Division Una	12/82	Installation of street light points near Indira ground Moh. Khadpar Una	751.00

7	Executive Engineer HPSEB Division Una	5/83	Installation of 10 Nos Addition street Light Points in M.L Area	3478
8	Executive Engineer HPSEB Division Una	6/87	Installation of 24 Nos Addition street points.	21759.00
9	Excutive Engineer Una Division HPSEB (B&R)	5/88	C/o Boundary Wall to working Women Hostel at Una	39528.00
10	Executive Engineer HPSEB Division Una	5/88	Installation of 23 Nos Light Points	6568.00
11	Excutive Engineer Una Division HPSEB (B&R)	5/88	C/O Working women Hostel at Una	242670.00
12.	Executive Engineer HPSEB Division Una	2/91	Installation of 36 Nos. Street Light Points.	25000.00
13	Executive Engineer HPSEB Division Una	4/91	Installation of 36 Nos. Street Light Points.	39924.00
14	Executive Engineer HPSEB Division Una	9/94	Installation of 4 Nos Street Light Points.	8666
15	A.E. Electrical Sub. Division no. 1 Una	4/21	Shifting of 3 No's LT Pole for transformer near Vety. Hospital Opp. MC Park	48815
16	A.E. Electrical Sub. Division no. 1 Una	8/21	Providing shifting of existing transformer (Ode Ayurvedic Hospital UB-2) to parking Area near Distt. Ayurvdic Hospital.	328330
17	A.E. Electrical Sub. Division no. 1 Una	2/22	Three Phase Line connection for SWM site Rampur	1066370
18	A.E. Electrical Sub. Division no. 1 Una	9/22	Shfting of 3ph LT Line 1 no. pole and 1 no., Moh. Behliin MC in R/O (E) Sector Local under Electrical Sub-Division HPSEBL Ltd Una-1	74063
19	A.E. Electrical Sub. Division no. 1 Una	3/23	HT Line Sub. Station for SOP to SWM site at Vill. Rampur under ESD HPSEB Una.	726378
			योग	**2646438**

उपरोक्त उल्लेखित असमायोजित अग्रिमों ₹2646438 की वसूली/समायोजन न करने का प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 294 दिनाँक 7.12.23 के अन्तर्गत लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद

ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त अग्रिम निक्षेप राशि का शीघ्र अति शीघ्र समायोजन कर लिया जाएगा। अतः प्रतियुत्तर अनुसार असमायोजित अग्रिम राशियों को सम्बन्धित उचित स्रोत से यथा शीघ्र वसूल करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.12 दिनाँक 31-03-2023 तक अपूर्ण निर्माण/मुरम्मत कार्यों का विवरण :-

नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अधियाचना संख्या -224 दिनाँक 20.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना से निम्नलिखित सूचना को प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

(1) नगर परिषद ऊना द्वारा शुरू किए गए निर्माण / मुरमम्त कार्य जिनको दिनाँक 31-03-2023 तक पूर्ण नहीं किया गया है का विवरण :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि	दिनाँक 31-03-2023 तक कुल किया गया व्यय	कार्य पूर्ण न करने का कारण

जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि अपूर्ण निर्माण/मुरम्मत कार्यों का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करके पहले ही अंकेक्षण को दे दिया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर परिषद द्वारा केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में करवाए गये निर्माण/मुरम्मत कार्यों की सूची ही प्रदान की गई, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि कौन सा कार्य अभी पूर्ण नहीं किया गया है। अतः उक्त सूचना प्रदान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सूचना अंकेक्षण में प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त गलत प्रतियुत्तर प्रदान करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

12 सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹26.74 लाख के चालान प्रस्तुत न करना:-

12.1 नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹10.64 लाख के चालान प्रस्तुत करने बारे:-

नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वार्ड नंबर 1 से 10 तक की सफाई के ठेके हेतु ई -टेण्डर के माध्यम से विभिन्न ठेकेदारों को आबंटित किये थे। कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान 12 % की दर से जमा करवाकर मूल चालान कार्यालय में जमा करवाने उपरांत ही सफाई ठेकेदारों को प्रति माह भुगतान किया जाना अनिवार्य था। कार्य आवंटन पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का नाम एवं पता फोटो सहित नगर परिषद ऊना में जमा करवाना अनिवार्य था। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सभी सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान ₹1064340 जमा करवाने के मूल चालान, स्थापना जाँच रजिस्टर, सफाई कर्मचारियों के नाम एवं पता सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये। जिसके अभाव में ताकि इस तथ्य की पुष्टि संभव न हो सकी कि सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹1064340 वास्तविक रूप में सम्बंधित कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त सफाई पर्यवेक्षक/ सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई कर्मचारियों की प्रतिदिन लगाई गई हाजरी के हाजरी रजिस्टर भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि संभव न हो सकी कि सफाई पर्यवेक्षक/ सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई ठेकेदारों के बिल को प्रति माह पारदर्शिता से सत्यापित किया था। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों की संख्या की दर से कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान 12% की दर से जमा करवाने योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम एवं पता	ठेका राशि वार्षिक (₹)	अवधि	सफाई कर्मचारियों की संख्या	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी (₹)	न्यूनतम मजदूरी की दर से वार्षिक देय राशि (₹)	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान की राशि 12 % की दर से (₹)
1	Sky light man power and hospitality service hamirpur	956676	1-4-21 से 31-3 -22	8	300	876000 (8x300x365)	105120
2	Sky light man power and hospitality service hamirpur	1120968	1-4-21 से 31-3 -22	10	300	1095000 (10x300 x365)	131400
3	m/s Hurricane security agency kangra	6954000	1-4-21 से 31-3 -22	61	300	6679500 (61x300 x365)	801540
4	Sky light man power and hospitality service hamirpur	691236	1-4-21 से 22=12माह	2	300	219000 (2x300 x365)	26280
						योग	**1064340**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251 दिनाँक 2.06.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतिपुत्तर नहीं दिया गया। अतः सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी

भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान ₹1064340 जमा करवाने के मूल चालान, स्थापना जाँच रजिस्टर, सफाई कर्मचारियों के नाम एवं पता सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आअंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.2 नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹16.10 लाख के चालान प्रस्तुत करने बारे :-

नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वार्ड नंबर 1 से 10 तक की सफाई के ठेके हेतु ई– टेण्डर के माध्यम से विभिन्न ठेकेदारों को आबंटित किये थे। कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान 12% की दर से जमा करवाकर मूल चालान कार्यालय में जमा करवाने उपरांत ही सफाई ठेकेदारों को प्रति माह भुगतान किया जाना अनिवार्य था। कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या 6 के अनुसार सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का नाम एवं पता फोटो सहित नगर परिषद ऊना में जमा करवाना अनिवार्य था। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सभी सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान ₹1609650 जमा करवाने के मूल चालान, स्थापना जाँच रजिस्टर,सफाई कर्मचारियों के नाम एवं पता सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ। ताकि इस तथ्य की पुष्टि संभव हो सके कि सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता अंशदान) ₹1609650 वास्तविक रूप में सम्बंधित कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त सफाई पर्यवेक्षक/ सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई कर्मचारियों की प्रतिदिन लगाई गई हाजरी के हाजरी रजिस्टर भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ। ताकि इस तथ्य की पुष्टि संभव हो सके कि सफाई पर्यवेक्षक/ सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई ठेकेदारों के बिल को प्रति माह पारदर्शिता से सत्यापित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई पर रखे सफाई कर्मचारियों की संख्या की दर से कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान 12% की दर से जमा करवाने योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम एवं पता	वार्ड संख्या	सफाई कर्मचारियों की संख्या	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी	वार्षिक न्यूनतम मजदूरी की दर से वार्षिक देय राशि	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान की राशि 12 % की दर से
1	श्री शेर सिंह गावं –चौवार,तहसील-अम्ब, जिला ऊना	1	14	350	1788500 (14x350x365)	214620
2	बंसल इंटरप्राइजेज, टांडा, जिला –कॉंगड़ा	2	11	350	1405250 (14x350x365)	168630
3	श्री शेर सिंह गावं –चौवार, तहसील अम्ब, जिला ऊना	3	15	350	1916250(15x350 x365)	229950
4	बंसल इंटरप्राइजेज, टांडा, जिला –कॉंगड़ा	4	13	350	1660750 (13x350x365)	199290
5	श्री मनीष कुमार, भोटा, जिला हमीरपुर	5,6	14	350	1788500 (14x350x365)	214620
6	जे.के.इंटरप्राइजेज, देहरा, जिला कॉंगड़ा	7	5	350	638750 (5x350x365)	76650
7	श्री रूप लाल, ब्रिज नगर, जिला हमीरपुर	8	5	350	638750 (5x350x365)	76650
8	श्री मनीष कुमार, भोटा, जिला हमीरपुर	9	15	350	1916250 (15x350x365)	229950
9	श्री गौरव कुमार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर	10	8	350	1022000 (8x350x365)	122640
10	श्री गुरप्रीत कौर, गावं –विकासनगर, जिला हमीरपुर	11	5	350	638750 (5x350x365)	76650
					योग	**1609650**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 258 दिनाँक 2.06.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः सफाई कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य

निधि में नियोक्ता अंशदान ₹1609650 जमा करवाने के मूल चालान, स्थापना जाँच रजिस्टर, सफाई कर्मचारियों के नाम एवं पता सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.3 अवधि 01.04.19 से 31.03.2021 तक की तुलना में अवधि 01-04-21 से 31-03-2022 तक के दौरान 27 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को राशि ₹32.41 लाख व अवधि 01-04-22 से 31-03-2023 तक 51 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को राशि ₹76.96 कुल ₹109.37 लाख की वित्तीय हानि :-

सफाई का ठेका देने से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा अवधि 01-04-19 से 31-03-2021 तक के दौरान घर –घर कूड़ा एकत्रित करने व सभी वार्डों की सफाई हेतु 54 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए थे। अवधि 01-04-21 से 31-03-2022 तक के दौरान घर –घर कूड़ा एकत्रित करने व सभी वार्डों की सफाई हेतु हेतु 81 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए थे। जिन पर वार्षिक व्यय ₹9722880 किया गया व अवधि 01-04-22 से 31-03-2023 तक के दौरान घर–घर कूड़ा एकत्रित करने व सभी वार्डों की सफाई हेतु सफाई हेतु 105 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए, जिन पर वार्षिक व्यय ₹15844584 किया गया। अवधि 01-04-19 से 31-03-2021 तक की तुलना में अवधि 01-04-21 से 31-03-2022 तक के दौरान 27 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को राशि ₹3240960 (9722880/81x27) की वित्तीय हानि व अवधि 01-04-22 से 31-03-2023 तक तक की तुलना में 51 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को राशि ₹7695940 (15844584/105x51) कुल ₹10936900 (3240960+7695940) वित्तीय हानि हुई है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि उपरोक्त अवधि में नगर परिषद के क्षेत्रफल में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। नगर परिषद ऊना में कुल 11 वार्ड है। नगर परिषद ऊना में सफाई कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत हैं व 4 पद भरे हुए हैं। केवल 20 सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं। सफाई के कार्य हेतु केवल 20 सफाई कर्मचारी ही ठेके पर लिए जाने अपेक्षित थे। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250 दिनाँक 2.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक

26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि सफाई कर्मचारियों के अभी 24 पद ही स्वीकृत है जोकि पिछले समय से चले आ रहे हैं। जबकि वर्ष 2015 से SWM Rule 2018 की अनुपालना करते हुए बहुत से अन्य कार्य सफाई कार्यों में जुड़ गये हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 30 वर्षों में शहर की जनसंख्या में बढ़ौतरी हुई है, नये घरों व गलियों का निर्माण हुआ है जिससे पुरानी स्वीकृत पदों पर कार्य करना असंभव है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर परिषद में अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021 तक के दौरान उक्त कार्य हेतु केवल 54 नंबर सफाई कर्मचारियों को ही ठेके पर लिया गया था। अतः अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021 तक की तुलना में अत्याधिक मात्रा में सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को सम्भवतः ₹10936900 की वित्तीय हानि हुई है। अतः स्वीकृत पदों/रिक्त पदों के अतिरिक्त (अधिक संख्या) सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा वित्तीय हानि की भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12.4 शेर सिंह सफाई ठेकेदार को वार्ड नंबर 1 व 3 की सफाई के ठेके में अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹6.60 लाख की वसूली बारे :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के वार्ड नंबर 1 व 3 की सफाई के ठेके से सम्बंधित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वार्ड नंबर 1 व 3 की सफाई की सफाई का ठेका शेर सिंह सफाई ठेकेदार को कार्य आवंटन पत्र संख्या – 3560 व 3568 दिनांक 3-2-2022 के अंतर्गत अवधि 10-2-2022 से 10-2-2023 तक 12 माह हेतु क्रमशः ₹165600 प्रति माह व ₹176900 प्रति माह की दर से आवंटित किया गया था। व्यय वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि माह 5/22 से 3/23 तक उक्त कार्य हेतु क्रमशः ₹195600 प्रति माह व ₹206900 प्रति माह की दर से भुगतान किया गया था। फलस्वरूप उक्त ठेकेदार को 11 माह हेतु ₹60000 प्रतिमाह की दर से ₹660000 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था। उक्त अधिक एवं गलत/अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238 दिनाँक 30.05.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः वास्तविक देय ठेका राशि से अधिक राशि भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बंधित

सफाई ठेकेदार अथवा अधिक एवं गलत/अनियमित भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12.5 प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदारों को सफाई का ठेका न देने की जगह द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदारों को सफाई का ठेका देने के कारण संभावित ₹8.02 लाख का अपव्यय

अवधि 10-2-2022 से 10-2-2023 तक नगर परिषद ऊना के विभिन्न वार्डों के सफाई के ठेके से सम्बंधित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न वार्डों की सफाई का ठेका न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदार को सफाई का ठेका न देकर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदार को देने के कारण नगर परिषद को निम्नलिखित विवरणानुसार ₹801852 की सम्भावित वित्तीय हानि हुई थी।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अवधि जिसके लिए सफाई ठेका आबंटित किया	न्यूनतम दर भरने वाले सफाई ठेकेदार का नाम	प्रस्तुत न्यूनतम दर (₹)	सफाई ठेकेदार का नाम जिसको अधिक दर पर सफाई ठेका दिया गया	अधिक दर जिस पर भुगतान किया गया (₹)	प्रतिमाह अधिक भुगतान (₹)	वर्ष में कुल अधिक भुगतान (₹)
1	सफाई कार्य वार्ड संख्या -3	10.2.2022 से 10.2.2023 (12 माह)	श्रीमती रीता देवी	174000	श्री शेर सिंह	206900	32900	394800
2	सफाई कार्य वार्ड संख्या -1	-यथोपरी-	श्री बॉबी दादरी	180300	श्री शेर सिंह	195600	15300	183600
3	सफाई कार्य वार्ड संख्या -10	-यथोपरी-	श्री बॉबी दादरी	102500	श्री गौरव कुमार	106292	3972	45504
4	सफाई कार्य वार्ड संख्या -9	-यथोपरी-	श्री बॉबी दादरी	167500	श्री मनीष	174987	7487	89844
5	सफाई कार्य वार्ड संख्या -8	-यथोपरी-	श्री अश्वनी कुमार	64895	श्री रूप लाल	68811	3916	46992

6	सफाई कार्य वार्ड संख्या -7	-यथोपरी-	श्री अश्वनी कुमार	64895	मैं० जे० के० इंटरप्राईजिज	68321	3426	41112
							योग	**801852**

यहाँ यह भी उल्लेखित करना अनिवार्य है कि अगर प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार ने कार्य करने से मना किया था, तब इस अवस्था में प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने उपरांत दूसरे नंबर (second lowest) पर न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से समझौता वार्ता करने उपरांत प्रथम न्यूनतम दर की ठेका राशि के बराबर ही ठेका दिया जाना अनिवार्य था व ऐसा न होने की अवस्था पुनः ई-टेंडर किये जाने अपेक्षित थे। उपरोक्त उल्लेखित अधिक एवं अनियमित भुगतान के कारण हुए अपव्यय का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 239 से 244 दिनांक 30.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या न०प०ऊ०/ सफाई शाखा/ 2023/ 1707 दिनांक 12.06.2023 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई के ठेके हेतु जो दर भरी गई थी वह न्यूनतम दरों को पूरा नहीं करती थीं। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदारों को सफाई का ठेका न देने के कारण अधिक दर भरने वाले ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित सफाई ठेकेदारों अथवा अपव्यय करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी/उचित स्रोत से की जाये व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12.6 नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्ड नंबर 1 से 10 तक की सफाई का ठेका बिना ई- टेंडर के देने के कारण सफाई ठेकदारों को ₹145.24 लाख का अनियमित भुगतान:-

नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वार्ड नंबर 1 से 10 तक की सफाई के ठेके हेतु ई– टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि निविदा आबंटन पत्र में कार्य की अवधि 1 माह उल्लेखित थी। जबकि कार्य आमंत्रण पत्र में अवधि 12 माह उल्लेखित की गई थी। फलस्वरूप 11 माह हेतु बिना ई-टेंडर के सफाई का कार्य ठेकेदारों से करवाए के कारण ठेकेदारों को निम्नविवरणानुसार ₹14524202 (1320832x11) का अनियमित भुगतान हुआ था।

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम एवं पता	वार्ड संख्या	ठेका राशि (₹)	अवधि व माह	सफाई कर्मचारियों की संख्या	कुल राशि (₹)
1	श्री शेर सिंह गावं –चौवार, तहसील- अम्ब ,जिला ऊना	1	165600	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	14	1987200
2	बंसल इंटरप्राइजेज, टांडा, जिला – काँगड़ा	2	135990	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	11	1631880
3	श्री शेर सिंह गावं –चौवार, तहसील- अम्ब, जिला ऊना	3	176900	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	15	2122800
4	बंसल इंटरप्राइजेज,टांडा, जिला –काँगड़ा	4	174987	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	13	2099844
5	श्री मनीष कुमार, भोटा, जिला हमीरपुर	5, 6	178000	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	14	2136000
6	जे.के. इंटरप्राइजेज, देहरा , जिला काँगड़ा	7	68321	11-3-22 से 11-3 -23 =12माह	5	819852
7	श्री रूप लाल ,ब्रिज नगर, जिला हमीरपुर	8	68811	11-3-22 से 11-3 -23 =12माह	5	825732
8	श्री मनीष कुमार, भोटा, जिला हमीरपुर	9	174220	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	15	2090640
9	श्री गौरव कुमार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर	10	106292	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	8	1275504
10	श्री गुरप्रीत कौर, गावं –विकासनगर, जिला हमीरपुर	11	71261	10-2-22 से 10-2 -23 =12माह	5	855132
			1320382			**15844584**

उक्त अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 245 दिनाँक 30.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या न०प०ऊ०/ सफाई शाखा /2023/1643 दिनाँक 7.06.2023 के अंतर्गत स्पष्ट किया कि टेंडर नोटिस के अनुसार दरें एक माह के हिसाब से मांगी गई थी जोकि बिल ऑफ़ Quantity में भी प्रति महीने के हिसाब से दरें मांगी गई थी। ठेके की अवधि को कार्यालय द्वारा अपनी नियम एवं शर्तों के अनुसार 12 माह की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था, जोकि On line E-Procurement System Govt. of Himachal Pradesh के निविदाकर्ता की सूचना हेतु सूचित की गई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि टेंडर नोटिस में ठेका अवधि केवल एक माह दर्शाई गई थी। अतः 11 माह हेतु बिना ई-टेंडर के सफाई का कार्य ठेकेदारों से करवाए के कारण ठेकेदारों को किए गये अनियमित भुगतान ₹14524202 का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

12.7 न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से 3 नंबर मिस्त्री व 6 नंबर मजदूर ठेके पर न लेने के कारण ₹2.32 लाख का अपव्यय :-

नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 3 नंबर मिस्त्री व 6 नंबर मजदूर ठेके पर न लेने सम्बंधित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि 3 नंबर मिस्त्री व 6 नंबर मजदूर ठेके पर लेने का ठेका मैसर्ज स्काई लाइट मैनपावर एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस, ठेकेदार को कार्य आर्वटन पत्र संख्या-2102 दिनाकं 11-8-21 के अंतर्गत अवधि 11-8-2021 से 31-3-2022 तक ₹101157 प्रति माह/ ₹1213884 वार्षिक दर से आवंटित किया गया था। माह 1/22 से 12 /23 तक उक्त कार्य विना निविदा आमंत्रित किये दूसरे नंबर (second lowest) पर न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार अमन दीप गर्ग ₹1445400 वार्षिक दर से आवंटित किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखित करना अनिवार्य है कि अगर प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार ने कार्य करने से मना किया था, ऐसी अवस्था में प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने उपरांत दूसरे नंबर(second lowest) पर न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से समझौता वार्ता करके प्रथम न्यूनतम दर की ठेका राशि के अनुरूप ठेका दिया जाना अनिवार्य था व ऐसा न होने की अवस्था पुनः ई-टेंडर किये जाने अपेक्षित थे। न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से कार्य न करवाने के कारण

₹231516 (1445400-1213884) का अपव्यय हुआ है, उक्त अधिक एवं गलत भुगतान के कारण हुए अपव्यय का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-279 दिनाँक 29.11.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि न्यूनतम दर भरने वाले प्रथम ठेकेदार Sky Light Man Power द्वारा ठेका नगर परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया है क्योंकि वह लेवर की मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा था ऐसे में Second Lowest ठेकेदार श्री अमनदीप को समझौता वार्ता द्वारा ठेका दिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है। क्योंकि यदि प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया था तब उस अवस्था में सम्बन्धित ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त की जानी व पुनः टैंडर आमंत्रित करके न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार को ठेका आबंटित किया जाना अपेक्षित था। अतः न्यूनतम दर भरने वाले ठेकेदार से कार्य न करवाने की जगह द्वितीय न्यनूतम ठेकेदार से कार्य करवाने के कारण किए गये अपव्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये व सम्पूर्ण राशि की वसूली अपव्यय करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी से की जाये। कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 नाली का ढक्कन /ड्रेन कवर के क्रय ₹14.96 लाख करने में पाई गई अनियमितताएं :-

माह 7/22 के व्यय वाउचर संख्या 241 दिनाकं 15-7-2022 के अंतर्गत ₹1496318 का भुगतान संतोषी स्टील स्ट्रक्चर ,ऊना को नगर परिषद ऊना के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 6,व 11 हेतु नाली के ढक्कन क्रय करने पर किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	दिनाँक	विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1	151	22-4-22	Supply of M.S.steel drin cover with priming coat made up of outer frame M.S.Angle 50x50x5 standard size 300x300mm, 300x450mm, 300x600mm	6769 kg	62.27 / kg	421505.63
				CGST	9%	37935.50
				SGST	9%	37935.50
					Total	**497376.63**
2	152	23-4-22	Supply of M.S.steel drin cover with priming coat made up of outer frame 50x50x5 standard size 300x300mm, 300x 450 mm, 300x600mm	6795.40 kg	62.27 / kg	423149.55
				CGST	9%	38083.46
				SGST	9%	38083.46
					Total	**499316.47**
3	153			6799.6 kg	62.27/kg	423411.09

207

		25-4-22	Supply of M.S.steel drin cover with priming coat made up of outer frame 50x50x5 standard size 300x300mm,300x450mm,300 x600mm	CGST	9%	38107
				SGST	9%	38107
					Total	**499625.09**
क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग = ₹497376.63+ ₹499316.47+ ₹499625.09 =						₹1496318

उपरोक्त व्यय वाउचर के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण किया जाये।

(i) उपरोक्त क्रय दिनाँक 5-5-2021 को आमंत्रित निविदा के आधार पर किया गया दर्शाया है। किसी भी निविदा की वैधता अवधि होती है। दिनाँक 5-5-2021 को आमंत्रित निविदा के आधार पर माह 4/22 में किया गया क्रय जहाँ एकतरफ अनियमित क्रय है, वही दूसरी तरफ चहेती फर्म को अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ देने की मंशा को उजागर करता है।

(ii) उपरोक्त बिलों में नाली के ढक्कन की मात्रा उल्लेखित नहीं है, कि कितनी संख्या में नाली के ढक्कन ख़रीदे गए हैं, केवल कुल भार किलोग्राम में उल्लेखित है। अतः उक्त कार्य में कितने नाली के ढक्कन क्रय किये गए हैं व प्रत्येक नाली के ढक्कन बनाने में कितने चलित मीटर एम. यस. ऐंगल का प्रयोग हुआ है, स्पष्ट किया जाये।

(iii) ₹1496318 के व्यय को अलग -अलग बिलों में विभाजित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(iv) उपरोक्त कार्य हेतु ई -टैंडर लगा कर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(v) किस -किस वार्ड में कितने – कितने नाली के ढक्कन स्थापित किये है ,वार्ड के अनुसार संख्या उल्लेखित की जाये।

(vi) आकार 300x300mm, 300x450mm, 300x600mm में से किस -किस आकार के कितनी मात्रा में नाली के ढक्कन क्रय किये गए है, आकार व संख्या स्पष्ट की जाये।

(vii) नाली के ढक्कन नयी जगह पर स्थापित किये है या फिर पुराने चैम्बर पर ही स्थापित किये हैं। स्पष्ट किया जाये।

(viii) यदि पुराने चैम्बर पर ही नाली के ढक्कन स्थापित किये है, तब पुराने नाली के ढक्कन का क्या किया गया है, स्पष्ट किया जाये।

(ix) नगर परिषद ऊना के सदन द्वारा नाली के ढक्कन क्रय करने से सम्बंधित पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाये।

(x) वार्ड संख्या 1, 2, 3, 6 व 11 के चैम्बर खराब होने की पुष्टि हेतु वार्ड सदस्य, अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता की सयुंक्त निरीक्षण रिपोर्ट /भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अंकेक्षण दल को उपलब्ध करवाई जाये।

(xi) उक्त क्रय सामान की स्टॉक प्रविष्टि व स्थापित करने से सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण दल को उपलब्ध करवाया जाये।

उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 266 दिनाँक 08.06.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा /2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि

(i) यह कार्य बहुत ही कम दर पर किया गया है जबकि करोना काल में मार्किट दरें काफी ज्यादा थी।

(ii) बिलों का पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

(iii) कार्य अनुसार संविदाकार को सप्लाई आर्डर दिया गया है।

(iv) कार्यों को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निविदा/संविदा आमंत्रित की गई है। भविष्य में ई-टेंडर की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

(v) वार्ड प्रति ब्यौरा अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

(vi) नाली पर ढक्कनों का आकार संविदाकार द्वारा मौके पर लिया गया है।

(vii) नाली पर ढक्कन नई जगह पर ही स्थापित किये गये किसी भी पुरानी जगह पर ढक्कन नहीं लगाये गये हैं।

(i) प्रस्ताव की कॉपी अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

(viii) सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।

(ix) स्टॉक प्रविष्टि अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

प्रतियुत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रतियुत्तर में दिए गये विवरण अनुसार,

(i) क्रम संख्या (i) पर उल्लेखित यह कार्य बहुत ही कम दर पर किया गया है जबकि करोना काल में मार्किट दरें काफी ज्यादा थी। जबकि अंकेक्षण दल द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना नहीं मांगी गई थी।

(ii) क्रम संख्या (ii) पर उल्लेखित बिलों का पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। जबकि उपरोक्त बिलों में नाली के ढक्कन की मात्रा उल्लेखित नहीं है, कि कितनी संख्या में नाली के ढक्कन खरीदे गए हैं, केवल कुल भार किलोग्राम में उल्लेखित है। अतः उक्त कार्य में कितने नाली के ढक्कन क्रय किये गए हैं व प्रत्येक नाली के ढक्कन बनाने में कितने चलित मीटर एम. यस. एंगल का प्रयोग हुआ है, से सम्बन्धित विवरण माँगा गया था।

(iii) क्रम संख्या (iii) पर उल्लेखित कार्य अनुसार संविदाकार को सप्लाई आर्डर दिया गया है। जबकि किसी भी बिल को विभाजित नहीं किया गया है। जबकि उपरोक्त एक तरह के सामान के क्रय हेतु तीन बिल लेकर व्यय को विभाजित किया गया था।

(iv) क्रम संख्या (iv) पर उल्लेखित कार्यों को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निविदा/संविदा आमंत्रित की गई है। भविष्य में ई-टेंडर की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। जबकि उक्त क्रय हेतु ई-टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जानी अनिवार्य थी।

(v) क्रम संख्या (v) पर उल्लेखित वार्ड प्रति ब्यौरा अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। जबकि उक्त सूचना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया

(vi) क्रम संख्या (vi) पर उल्लेखित नाली पर ढक्कनों का आकार संविदाकार द्वारा मौके पर लिया गया है। जबकि नाली पर ढक्कनों का आकार का आकलन कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किया जाना अपेक्षित था।

(vii) क्रम संख्या (viii) पर उल्लेखित प्रस्ताव की कॉपी अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। लेकिन प्रस्ताव की कॉपी को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(viii) क्रम संख्या (ix) पर उल्लेखित सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन सत्यापन रिपोर्ट को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ix) क्रम संख्या (x) पर उल्लेखित स्टॉक प्रविष्टि अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। लेकिन स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

अतः सम्पूर्ण अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए। ताकि अंकेक्षण अभियुक्तियों का निपटारा सम्भव हो सके।

14 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत का कार्य शुरू न होने के बावजूद 10 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण Sky Light Man Power Hospitality Service Hamirpur को ₹11.21 लाख का अधिक एवं अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार नगर परिषद ऊना द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत हेतु 10 नंबर सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण अवधि 1.04.21 से 31.03.22 तक Sky Light Man Power Hospitality Service Hamirpur को ₹1120968 का भुगतान किया गया है। जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फलस्वरूप ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत का कार्य शुरू न होने के बावजूद 10 नंबर सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने का कारण ₹1120968 का अधिक एवं अनियमित भुगतान हुआ है। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 214 दिनाँक 18.05.23 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना पत्र संख्या न०प०ऊ०/ऑडिट रिपोर्ट/2023/ 1555 दिनाँक 20.05.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि वर्ष 2021-22 में हुए टेंडर के दौरान इन कर्मचारियों से गीले एवं सूखे कचरे के प्रबन्धन का कार्य लिया गया था तथा पहले से स्थापित बैलिंग मशीन (Bailing Machine) में पोलीथीन को प्रोसेस (Process) करके उसे सीमेंट प्लांट में भेजा गया। गीले कचरे के प्रबंधन का कार्य ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं हो पाया व गीले कचरे के प्रबन्धन का कार्य न करने/ देने के कारण ग्रामीणों के खिलाफ एफ०आई० आर० दर्ज की गई है। प्रतियुत्तर सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा पहले से ही अत्याधिक मात्रा में सफाई कर्मचारी ठेके पर ले रखे थे। अतः ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत का कार्य शुरू न होने के बाबजूद 10 नंबर सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मलाहत का कार्य शुरू न होने के बाबजूद 10 नंबर सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण किए गये अधिक एवं अनियमित भुगतान ₹1120968 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं अनियमित भुगतान

की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY/HFA) खाते से ₹19.47 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY/HFA) खाते से निर्माण कार्य "Construction of Car Parking near District Ayurvedic Hospital W.No. 2 MC Una" हेतु मै० कथूरिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इकबाल सिंह) को दिनाँक 15.03.22 को ₹1947289 का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY/HFA) खाते से निर्माण कार्य "Construction of Car Parking near District Ayurvedic Hospital w.no. 2 MC Una हेतु भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है, फलस्वरूप उक्त व्यय प्रधानमन्त्री आवास योजना निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान है। उक्त अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 268 दिनाँक 9.06.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनाँक 27.12.2023 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 05.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY/HFA) खाते से निर्माण कार्य "Construction of Car Parking near District Ayurvedic Hospital w.no. 2 MC Una" हेतु मै० कथूरिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इकबाल सिंह) को ₹1947289 का भुगतान करने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी व प्रधानमंत्री आवास खाते में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 योजनाओं/मिशन से सम्बन्धित :-

1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के राशि ₹2.44 लाख के बिल वाउचर प्रस्तुत न करने के कारण संभावित दुरूपयोग

(i) अंकेक्षण हेतु चयनित माह 5/21 के दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) की रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दिनाँक 6.05.21 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया खाता संख्या 3480981130 के अंतर्गत निर्माण कार्य "C/o Common Toilet for Rehan Basera" हेतु ₹243545 का व्यय दर्ज किया गया था। लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर न तो वाउचर

फाइल में सलंग्न थे व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किये गये। बिल/वाउचरों के अभाव में उक्त व्यय दर्शाई गई राशि के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) अवधि 01.04.21 से 31.03.22 तक के दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) की रोकड़ बही के व्यय पक्ष व वाउचरों पर वाउचर संख्या उल्लेखित नहीं है। अतः रोकड़ बही व वाउचरों पर वाउचर संख्या उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-229 दिनाँक 20.05.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या-305 दिनाँक 27.12.23 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई प्रतियुत्तर नहीं दिया गया व न ही सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किये गये। अतः व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किया जाएं अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16.2 प्रधानमन्त्री आवास योजना के राशि ₹5.47 लाख बिल वाउचर प्रस्तुत न करने के कारण संभावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 5/21 के दौरान प्रधानमन्त्री वास योजना/सभी के लिए घर (PMAY/HFA) की रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दिनाँक 13.05.21 को एच. डी. एफ. सी. बैंक खाता संख्या 50100308220780 से ₹546731 का व्यय दर्ज किया गया है। लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर न तो वाउचर फाइल में सलंग्न थे व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उक्त व्यय दर्शाई गई राशि के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 228 दिनाँक 20.05.23, अंकेक्षण अधियाचना संख्या-305 दिनाँक 27.12.23 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.24 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया। अतः व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किया जाएं अन्यथा सम्पूर्ण राशि की

वसूली भुगतान दर्शाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16.3 एन. यू. एल. एम. (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) रोकड़ बही से ₹1.08 लाख का संभावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि एन. यू. एल. एम. रोकड़ बही से अंकेक्षण हेतु चयनित माह के दौरान दिनाँक 8.07.22 को व्यय पक्ष में ₹108077 का व्यय दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त व्यय का विवरण रोकड़ बही के व्यय पक्ष में उल्लेखित नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राशि का दुरूपयोग किया गया था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -6 दिनाँक 2.01.2024 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया व न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16.4 प्रधानमंत्री आवास योजना/ हाउस फॉर आल के अंतर्गत भुगतान की गई राशि ₹51.33 लाख से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना /हाउस फॉर आल के अंतर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/22 के दौरा विभिन्न लाभार्थियों को निम्नलिखित विवरणानुसार भुगतान की गई राशि ₹5132594 से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -7 दिनाँक 2.01.2024 व अनुस्मारक संख्या -9 दिनाँक 5.01.2024 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर नहीं दिया गया व न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	दिनाँक	भुगतान की गई राशि (₹)
1	2.07.22	2767844
2	7.07.22	129500
3	13.07.22	796000
4	14.07.22	727000
5	18.07.22	64750
6	22.07.22	388500
7	25.07.22	259000
	योग	**5132594**

16.5 NRY (नेहरु रोजगार योजना) के अंतर्गत Shelter Upgardation स्कीम के लाभार्थियों से राशि ₹0.80 लाख की वसूली शेष

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक NRY (नेहरु रोजगार योजना) के अधीन Shelter Upgradation के लाभार्थियों से निम्नानुसार व **परिशिष्ट –"ट"** पर उल्लेखित ₹79660 की वसूली शेष थी, जिसका दिनांक 31.03.23 तक समायोजन नहीं किया गया था। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2017 के पैरा- संख्या-13 व अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019 के पैरा संख्या- 25 व अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 के पैरा संख्या-34 पर भी यह अनियमितता परिषद के ध्यान में लाई गई थी। परन्तु इसके बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में न लाना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है और परिषद की लचर कार्यशैली को परिलक्षित करती है।

Sr. No	Name of Candidate	Date of Outstanding as on	Principal Amount (₹)	Interest (₹)	Amount (₹)
1	Sh.Karam Chand S/o Sh. Kartar Chand ward no. 10	31-03-23	800	80	880
2	Sh. Baldev singh S/o Sh. Mula Singh Ward no.3	31-03-23	1260	180	1440
3	Sh. Sarwan singh S/o Sh. Achar Singh ward no 3	31-03-23	2660	940	3600

4	Sh. Dhani Ram s/o sh. Ram Saran ward no.3	31-03-23	2120	580	2700
5	Smt. Vanti Devi w/o sh. Rikhi Ram ward no 1	31-03-23	2880	1220	4100
6	Sh. Hardev Singh s/o Sh. Rakha Singh ward no 9	31-03-23	2460	880	3340
7	Sh. Amar Chand s/o Sh. Dheru Ram ward no 4	31-03-23	1160	140	1300
8	Smt. Bimla Devi wd/o Raja Ram ward no 11	31-03-23	2520	880	3400
9	Sh. Bansi Lal S/o Sh. Nanak chand ward no 11	31-03-23	2120	580	2700
10	Sh. Mangha Ram s/o sh. Tulsi Ram ward no 8	31-03-23	2880	1220	4100
11	Sh. Tarlochan Singh s/o Sh. Baldev singh ward no 5	31-03-23	2200	740	2940
12	Sh. Karam singh s/o sh. Gurbachan singh ward no 10	31-03-23	3000	1380	4380
13	Smt. Ratni Devi w/o sh. Hardit singh ward no 3	31-03-23	2760	1060	3820
14	Sh. Sarvan kumar s/o Amar chand ward no 10	31-03-23	2680	1000	3680
15	Smt. Jagtar Kaurs/o sh. Ishar singh ward no 3	31-03-23	1560	300	1860
16	Sh. Hari Ram s/o Basanta Ram ward no 1	31-03-23	2360	760	3120
17	Sh. Kamla Basi w/o sh. Mela Ram ward no 3	31-03-23	1460	260	1720
18	Sh. Karam chand s/o julfi Ram ward no 11	31-03-23	1260	180	1440
19	Sh. Garib Dass s/o Sh. Prabu Ram ward no 10	31-03-23	2360	760	3120
20	Smt. Kailasho Devi w/o Sh. Ram Dass ward no 9	31-03-23	1860	920	2780
21	Sh. Bajan Lal s/o Kartar chand ward no 10	31-03-23	560	40	600
22	Sh. Kishan Chand s/o Baant Ram ward no 10	31-03-23	2600	940	3540
23	Sh. Tilak Raj s/o Mehar chand ward no 4	31-03-23	1760	1000	2760
24	Sh. Surjeet singh s/o Rakha singh ward no 10	31-03-23	3000	1380	4380
25	Sh. Satinder singh s/o Sh. Watan singh ward no 10	31-03-23	3000	1380	4380
26	Sh. Roshan Lal s/o Bhagat Ram ward no 3	31-03-23	2520	880	3400
27	Sh. Ravinder Kumar S/o sh. Ram Dass ward no 4	31-03-23	1960	920	2880
28	Sh. Chanan Singh s/o sh. Mikhi Ram ward no 10	31-03-23	1160	140	1300
				Total	**79660**

उपरोक्त उल्लेखित राशियों की वसूली न करने का प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 293 दिनांक 7.12.23 के अन्तर्गत लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनांक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि पूर्ण वसूली अभी तक नहीं हुई है इस पर कार्यवाही जारी है और लाभार्थियों से पूर्ण वसूली करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । अतः प्रतियुत्तर अनुसार सभी नेहरु रोजगार योजना (NRY) के अधीन Shelter

Upgradation के लाभार्थियों से वसूली हेतु शेष राशि को सम्बन्धित उचित स्रोत से यथा शीघ्र वसूल करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **पार्किंग से सम्बन्धित:-**

1) नीलाम की गई कार पार्किंग नजदीक जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना वार्ड संख्या -2 के ठेकेदार श्री किशोरी लाल सुपुत्र श्री खुशी राम से प्रतिभूति राशि ₹0.50 लाख की वसूली न करना :-

नीलामी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पेज संख्या 38 पर कार पार्किंग नजदीक जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना वार्ड संख्या -2 की नीलामी का ठेका दिनाँक 27.02.2023 को श्री किशोरी लाल सुपुत्र श्री खुशी राम को अवधि 1.03.2023 से 28.02.2024 तक आबंटित किया गया था। उक्त बोली हेतु नगर परिषद द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की शर्त संख्या -3 के अनुसार सफल बोलीदाता को मुबलिक ₹50000 बतौर प्रतिभूति नकद राशि के रूप में बोली वाले दिन ही जमा करवानी अपेक्षित थी व शर्त संख्या -5 के अनुसार सफल ठेकेदार को पार्किंग फीस वसूली ठेका शुरू करने से पहले नगर परिषद के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त ठेकेदार से न तो अनुबंध किया गया व न ही प्रतिभूति राशि ₹50000 की वसूली गई। उक्त ठेकेदार द्वारा प्रथम किस्त जी-8 संख्या 48/43 दिनाँक 29.03.2023 को ₹185750 व वस्तु एवं सेवा कर ₹33435 कुल ₹219185 अदा कर दी थी। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 285 दिनाँक 01.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रतिभूति राशि ₹50000 की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार प्रतिभूति राशि की वसूली करनी व अनुबंध किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17.2 पार्किंग फीस ₹20580 की वसूली न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्याः MCU/ Account/ 2023 /650 दिनाँक 24.02.2023 के अंतर्गत सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल ऊना से दिनाँक 31.03.23 तक निम्नलिखित विवरणानुसार पार्किंग फीस ₹20580 की वसूली नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	गाड़ी का विवरण	दर प्रति दिन	अवधि	वसूली योग्य राशि (₹)
1	ट्रक एच. पी. -38 ए-3359	70	1.10.22 से 24.02.23 147 दिन	10290
2	जे. सी. बी. संख्या -1	70	1.10.22 से 24.02.23 147 दिन	10290
			योग	**20580**

अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल ऊना से उक्त गाड़ियों की पार्किंग फीस के रूप में वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 बजट से सम्बन्धित :-

1) वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सक्षम अधिकारी से अनुमोदित न करवाना :-

प्रस्ताव रजिस्टर के अनुसार प्रस्ताव संख्या -68 दिनाँक 27.10.2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन द्वारा पारित किया गया है। लेकिन सदन द्वारा पारित बजट को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के सदन द्वारा पारित बजट की प्रतिलिपि भी अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2) स्वीकृत बजट से ₹791.10 लाख का अधिक व्यय:-

नगर परिषद ऊना का वित्तीय वर्ष 2022-23 का स्वीकृत बजट एवं इसके विरुद्व व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत बजट (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	अन्तर (₹)
2022-23	49549000	128658541	79109541

उपरोक्त विवरणानुसार नगर परिषद ऊना द्वारा ₹79109541 की राशि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन/स्वीकृति से स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई थी। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग के अनुमोदन/स्वीकृति से अधिक किए गए व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

19 **जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना के समीप मेन सड़क पर कार पार्किंग के आगे स्वयं वित्त पोषित योजना के अंतर्गत धरातल व प्रथम मंजिल पर तीन–तीन दुकानों के निर्माण पर व्यय की गई राशि का विवरण प्रदान न करना :-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 287 दिनाँक 1.12.2023 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना से निम्नलिखित सूचना प्रदान करने हेतु अनुरोध किया था।

(i) नगर परिषद ऊना द्वारा जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना के समीप मेन सड़क पर कार पार्किंग के आगे स्वयं वित्त पोषित योजना के अंतर्गत धरातल व प्रथम मंजिल पर तीन–तीन दुकानों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई है का विवरण दुकान अनुसार प्रदान किया जाए।

जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि दुकानों के निर्माण पर व्यय राशि का अभी तक अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। दुकानों का अंतिम बिल अदायगी के बाद व्यय राशि का विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यदि व्यय राशि का आकलन नहीं किया गया था तो जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना के समीप मेन

सड़क पर कार पार्किंग के आगे स्वय वित्तपोषित हेतु आबंटित दुकानों को किस आधार पर नीलाम किया गया था, का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

20 **भवन मैपिंग शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 3/22 व 3/23 के दौरान भवन मैपिंग शुल्क के रूप में वसूली गई राशि क्रमशः ₹27293 व ₹57356 कुल ₹84649 से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु बार –बार मौखिक व अंकेक्षण अधियाचना संख्या -292 दिनाँक 7.12.23 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना से अनुरोध किया गया। जिसके प्रतियुत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या एमसीयू/राज्य लेखा परीक्षा/2023-2889 दिनाँक 26.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि भवन मैपिंग शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **अन्य:-**

(क) (i) गणना में त्रुटि के कारण दुकान किराया ₹2077 की कम वसूली करना राशि:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या 11/43 दिनाँक 9.03.23 के अंतर्गत कृष्णा ऑटोमोबाइल नंगल रोड ऊना से माह 3/2023 के वास्तविक दुकान किराया के वास्तविक योग की जगह गणना में त्रुटि के कारण कम राशि वसूली गई थी। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रम संख्या	दूकान संख्या	दुकान किराया	वस्तु एवं सेवा कर (₹)	कुल योग (₹)
1	1	4792	863	5655
2	2	4792	863	5655
3	17	2795	503	3298
4	18	2795	503	3298
5	19	2795	503	3298
6	20	2795	503	3298
	कुल योग	20764	3738	24502

	जी-8 संख्या 11/43 में दर्ज राशि	18687	3738	22425
	कम वसूली गई राशि	**2077**	**0**	**2077**

अतः दुकान किराया की वास्तविक राशि से कम राशि की वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम वसूली गई राशि की वसूली सम्बन्धित दुकानकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) कार्बन कॉपी को बाल पेन से भरना :-

जी-8 संख्या 1/46 दिनाँक 16.03.23 के अंतर्गत श्री केवल कृषण सुपुत्र श्री दौलत राम मेन बाजार ऊना से गृहकर ₹203 छूट ₹40 देने उपरांत ₹163 की जगह ₹162 की वसूली की गई थी। लेकिन उक्त रसीद की कार्बन कॉपी को पेन से भरा गया था। उक्त कार्बन कॉपी को पेन से भरने के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में उक्त गृहकरदात्ता से उतनी ही राशि वसूली गई थी जितनी राशि रसीद में भरी गई है। अतः उक्त कार्बन कॉपी को पेन द्वारा भरने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) रसीद में कटिंग को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित न करना :-

जी-8 संख्या 55/42 दिनाँक 20.03.23 की के अंतर्गत श्री रमणीक पुरी संविदाकार, से जॉब संख्या 1, 2 व 3 हेतु टैंडर तिथि 21.03.23 हेतु टैंडर राशि ₹1500 की वसूली की गई थी। लेकिन उक्त रसीद की कार्बन कॉपी में टैंडर राशि ₹1500 को काट कर ₹1000 बनाया गया था। लेकिन उक्त कटिंग को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। फलस्वरूप उक्त वसूली गई राशि ₹1500 को काट कर ₹1000 बनाकर ₹500 का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः उक्त वसूली गई राशि को काट कर कम करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व पूर्ण जांच उपरांत यह सत्यापित किया जाए कि वास्तव में उक्त ठेकेदार से ₹1000 की राशि ही वसूली गई थी।

(iv) रसीदों के अंतर्गत वसूली गई राशि से कम राशि रोकड़ बही में दर्ज करके दुरूपयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 3/23 के दौरान विभिन्न रसीदों के अंतर्गत वसूली गई राशि से कम राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करके ₹500 दुरूपयोग किया गया था।

क्रम संख्या	जी-8 संख्या	दिनाँक	रसीदों की संख्या	विवरण	राशि (₹)	कुल योग (₹)
1	97/42	24.03.23	1	टेंडर	1000 x1=	1000
2	98/42 से 100/42	24.03.23	3	टेंडर	500x3=	1500
3	1/44 से 19/44	24.03.23	19	टेंडर	500 x19=	9500
4	20/44	24.03.23	1	टेंडर	1000x1=	1000
5	21/44 से 35/44	24.03.23	15	टेंडर	500x15=	7500
		योग	**39**			**20500**
	दिनाँक 27.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज राशि व बैंक में जमा करवाई गई राशि					**20000**
	दुरूपयोग की गई राशि					**500**

अतः वसूली गई राशि से कम राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरूपयोग की गई राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) रसीदें जारी न करना :-

घर घर कूड़ा संग्रहण हेतु माह 3/23 में वार्ड संख्या -11 हेतु जारी की बुक संख्या 811 रसीद संख्या 81047 से 81100 तक रसीदें खाली है। उक्त रसीदों को दिनाँक 17.03.23 के उपरांत प्रयोग नहीं किया गया था। अतः उक्त रसीदों को जारी/ प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी रसीदों को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) गृहकर के रूप में वसूली गई राशि ₹0.67 लाख का गृहकर रजिस्टर में इन्द्राज न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा गृहकरदाताओं से गृहकर के रूप में वसूली गई राशि का गृहकर रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था। जिसका विवरण **परिशिष्ट "ङ०"** पर उल्लेखित है।

अतः गृहकर के रूप में वसूली गई उक्त राशि का गृहकर रजिस्टर में इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि का इन्द्राज सम्बन्धित गृहकरदाताओं के खातों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vii) कम राशि का इन्द्राज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या 38/8 दिनाँक 15.03.22 के अंतगत श्री राम प्रकाश/ नानक चंद जवाहर मार्किट ऊना से गृहकर व अदत्त गृहकर के रूप में ₹5832 की वसूली की गई थी लेकिन गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर-5 पेज संख्या- 48 पर उक्त गृहकरदाता के खाता संख्या - 2055 में केवल ₹2592 दर्ज किया गया था। फलस्वरूप ₹3240 कम दर्ज किया गया। अतः गृहकर की वास्तविक वसूली गई राशि से कम राशि दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम लेखांकन की शुद्धि सम्बन्धित गृहकरदाता के खाते की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(viii) गृहकर का गलत इन्द्राज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या 17/45 दिनाँक 16.03.23 के अंतर्गत श्री नवल किशोर मु० मलाहत नगर ऊना से गृहकर ₹540 छूट ₹108 देने उपरांत ₹432 की राशि वसूली करने उपरांत गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर संख्या -2 पेज संख्या – 77 पर उक्त गृहकरदाता के खाता संख्या- 929 में दर्ज की गई थी। लेकिन उक्त रसीद को पुनः मांग एवं संग्रहण रजिस्टर संख्या -2 पेज संख्या – 77 पर गृहकरदाता श्री प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री तरसेम लाल मलाहत ऊना के खाता संख्या- 930 के गलत दर्ज किया गया है। अतः एक ही रसीद का दो बार लेखांकन करने के कारण गलत लेखांकन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त प्रविष्टि की शुद्धि सम्बन्धित

गृहकरदाता के खाते की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ix) गृहकर रजिस्टर में गृहकरदाताओं की गृहकर मांग उल्लेखित होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ गृहकरदाताओं के खातों में गृहकर मांग दर्ज नहीं की गई थी। जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	गृहकर रजिस्टर संख्या	पेज संख्या	गृहकरदाता सम्पत्ति संख्या	गृहकरदाता का नाम एवं पता
1	01	11	58	श्री महेश प्रताप सुपुत्र श्री राम रखा आर्य नगर ऊना
2	01	19	97	श्री पी० डी० बंसल सुपुत्र श्री कमल देव आर्य नगर ऊना
3	01	21	105 A	श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री मंगल राम आर्य नगर ऊना
4	01	42	220	श्री बिशन दास सुपुत्र श्री तुलसी राम पुराना बस अड्डा ऊना
5	01	43	222	श्री वी० एन० लोहिया सुपुत्र श्री बरयाम सिंह पुराना बस अड्डा ऊना
6	01	46	234	श्री सतीश शर्मा सुपुत्र श्री गिरधारी लाल पुराना बस अड्डा ऊना
7	01	49	249	श्री गुरमेल सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह सैनी पुराना बस अड्डा ऊना
8	01	50	249	श्रीमती रुक्मण कौर पत्नी श्री त्रिलोचन सिंह पुराना बस अड्डा ऊना
9	01	70	359	श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री मेहर चंद डोगरा प्रेम नगर ऊना
10	01	89	464	श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री मन्वारी लाल पुराना हॉस्पिटल ऊना
11	02	12	551	श्री ओ० पी० वर्मा सुपुत्र श्री केवल कृष्ण असीत वाली गली ऊना

अतः विभिन्न गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सभी गृहकरदाताओं के खातों में गृहकर मांग दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सभी गृहकरदाताओं के खातों में गृहकर मांग दर्ज करके वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(x) गृहकर रजिस्टर आधा- अधूरा तैयार करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों को विधिवत्त तैयार नहीं किया गया था। केवल आधा-अधूरा रजिस्टरों को बनाया गया था। गृहकर रजिस्टर में गृहकरदाताओं की सम्पति को क्रमवार उल्लेखित नहीं किया गया था। बीच-बीच में गृहकर दाताओं के सम्पति क्रम को तोड़ा गया था। जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	गृहकर रजिस्टर संख्या	गृहकर सम्पत्ति क्रम संख्या जिसको गृहकर रजिस्टर में उल्लेखित नहीं किया गया था	गृहकर रजिस्टर पेज संख्या
1	1	40	8
2	1	124	24
3	1	215	41
4	1	258	51
5	1	265	52
6	1	275	54
7	1	288	57
8	1	290	57
9	1	311	61
10	1	389	75
11	1	391	75
12	1	417	81
13	1	437	84
14	2	558	14
15	2	596	20
16	2	640	27
17	2	793	33

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों का आधा-अधूरा तैयार करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित सम्पूर्ण अभिलेख विधिवत तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) (i) दुकान किराया राशि का गलत इन्द्राज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या 48/1 दिनाँक 19.03.2022 के अंतर्गत श्री मोहिंदर कुमार सुपुत्र श्री हुसन लाल मोहल्ला गुरुसर ऊना से दुकान संख्या -19 (खोखा) का मार्च माह का किराया ₹1607, वस्तु एवं सेवाकर ₹289 कुल ₹1896 की वसूली की गई थी व उक्त दुकान किराया राशि को उक्त दुकानदार के खाते में दुकान किराया रजिस्टर पेज संख्या -17 दुकान (खोखा) क्रम संख्या -19 पर दर्ज करने के अतिरिक्त उसी राशि का दुकान किराया रजिस्टर पेज संख्या -17 दुकान (खोखा) क्रम संख्या -17 पर श्री गुरप्यारा सुपुत्र श्री जुल्फी राम के खाते में भी दर्ज किया गया था। फलस्वरूप एक ही रसीद का दो बार इन्द्राज करके गृहकरदाता को अनैतिक लाभ देने के प्रयोजन से श्री गुरप्यारा सुपुत्र श्री जुल्फी राम के खाते में गलत इन्द्राज किया गया था। अतः एक ही रसीद का दोबार इन्द्राज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त गलत इन्द्राज की शुद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) दुकान किराया राशि का इन्द्राज न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या 88/39 दिनाँक 2.03.2022 के अंतर्गत श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री प्राण नाथ वार्ड संख्या -05 ऊना से मार्च माह का किराया ₹859, वस्तु एवं सेवाकर ₹155 कुल ₹1014 की वसूली की गई थी। लेकिन उक्त रसीद की दुकान किराया रजिस्टर पेज संख्या -30 दुकान संख्या -92 में इन्द्राज नहीं किया गया था। अतः उक्त राशि का इन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) दुकान किराया रसीद का गलत इन्द्राज करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जी-8 संख्या- 5/1 दिनाँक 8.03.22 के अंतर्गत श्री संदीप कश्यप सुपुत्र श्री आर० एल० शर्मा दुकान संख्या -1 ग्राउंड फ्लोर नजदीक नगर परिषद पार्क से मार्च/2022 का दुकान किराया ₹33000 वस्तु एवं सेवा कर ₹11880 कुल ₹44880 की राशि वसूली गई थी। लेकिन उक्त वसूली गई राशि को किराया रजिस्टर पेज सख्या – 45 पर उक्त दुकानदार के खाते में इन्द्राज न करके श्री संदीप कुमार सुपुत्र श्री राम नाथ मोहल्ला कतना ऊना नगर परिषद पार्क में स्थित कैफ़े के खाते में गलत इन्द्राज किया गया है। अतः उक्त वसूली गई किराया राशि को श्री संदीप कश्यप सुपुत्र श्री आर० एल० शर्मा दुकान संख्या -1 ग्राउंड फ्लोर नजदीक नगर

परिषद पार्क के खाते में दर्ज न करके श्री संदीप कुमार सुपुत्र श्री राम नाथ मोहल्ला कतना ऊना नगर परिषद पार्क में स्थित कैफ़े के खाते में गलत इन्द्राज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त किराया राशि के गलत इन्द्राज की शुद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) व्यय का विवरण उल्लेखित न होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेतु चयनित माह 7/22 के दौरान दिनाँक 31.07.22 को व्यय पक्ष में चैक संख्या 066144 के अंतर्गत ₹3347 का व्यय दर्ज किया गया है। लेकिन उक्त व्यय से सम्बन्धित विवरण जैसे कि वाउचर संख्या, बिल संख्या, दिनाँक, फर्म का नाम, क्या सामान क्रय किया गया है इत्यादि से सम्बन्धित विवरण उल्लेखित नहीं है व न ही उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त व्यय से सम्बन्धित विवरण रोकड़ बही में उल्लेखित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित विवरण रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल /वाउचर भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 नियमानुसार विभिन्न रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

नगर परिषद ऊना में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का रख-रखाव अघतन अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि गम्भीर अनियमितता है :-

(i) अनुदान रजिस्टर

(ii) सावधिक निवेश रजिस्टर

(iii) अग्रिम रजिस्टर

(iv) रसीद/जी-8 का स्टॉक रजिस्टर

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब वांछित अभिलेख का रख-रखाव व अघतन करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

23 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है। जबकि नियमानुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्रवाई से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपति विवरणी :**-इसे अलग से जारी नहीं किया गया। लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

25 **निष्कर्ष:**- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0 –0177–2626670

O/C

30 MAR 2024

1770-1772

पृष्ठांकन संख्या :– V (18) फिन (एल0ए0) खण्ड–8 दिनांक, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2, को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा शिमला–03

पंजीकृत :–3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0 –0177–2626670

O/C

परिशिष्ट – 'क'

पैरा- संख्या - 1(ग) से संदर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1990:-

1	पैरा- 4 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा- 4 (ज)	अनिर्णीत	
3	पैरा- 5 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 5 (ड.)	अनिर्णीत	
5	पैरा- 11(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा- 19 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा- 20 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा- 21 (ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा- 21 (च)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 23 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा- 23 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा- 25 (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा- 25 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा- 30 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा- 30 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा- 32 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 32 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा- 37	अनिर्णीत	
19	पैरा- 50	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1996:-

1	पैरा- 3(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा- 5(1)(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा- 5 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 5 (1) (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा- 5 (1)(घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा- 5(1)(ड.)	अनिर्णीत	
7	पैरा- 5 (1)(च)	अनिर्णीत	
8	पैरा- 5 (1)(छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 10 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा- 10 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा- 10 (ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा- 11	अनिर्णीत	
14	पैरा- 12 (च, च)	अनिर्णीत	

15	पैरा- 13	अनिर्णीत	
16	पैरा- 21(ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 21(ग)	अनिर्णीत	
18	पैरा- 21(घ)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2003:-

1	पैरा- 5	अनिर्णीत	
2	पैरा- 6 (11)	अनिर्णीत	
3	पैरा- 9	अनिर्णीत	
4	पैरा- 10	अनिर्णीत	
5	पैरा- 13	अनिर्णीत	
6	पैरा- 15	अनिर्णीत	
7	पैरा- 16	अनिर्णीत	
8	पैरा- 18	अनिर्णीत	
9	पैरा- 19 (11)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 20	अनिर्णीत	
11	पैरा- 22	अनिर्णीत	
12	पैरा- 23 (i से v)	अनिर्णीत	
13	पैरा- 24	अनिर्णीत	
14	पैरा- 25	अनिर्णीत	
15	पैरा- 26 (i से iii)	अनिर्णीत	
16	पैरा- 27 (i से viii)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 28	अनिर्णीत	
18	पैरा- 29 (i से iv)	अनिर्णीत	
19	पैरा- 30 (i से iii)	अनिर्णीत	
20	पैरा- 31 (i व ii)	अनिर्णीत	
21	पैरा- 32 (i व ii)	अनिर्णीत	
22	पैरा- 33(1) (i से iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा- 33(1) (iv)	अनिर्णीत	
24	पैरा- 33(1) (v) (i)	अनिर्णीत	
25	पैरा- 33(1) (v) (3)	अनिर्णीत	
26	पैरा- 33(4)	अनिर्णीत	
27	पैरा- 33(5)	अनिर्णीत	
28	पैरा- 34(i)	अनिर्णीत	
29	पैरा- 34(ii)	अनिर्णीत	
30	पैरा- 34(iii)	अनिर्णीत	
31	पैरा- 34(iv)	अनिर्णीत	
32	पैरा- 35(3)	अनिर्णीत	
33	पैरा- 35(4)	अनिर्णीत	

34	पैरा- 36(i)	अनिर्णीत	
35	पैरा- 36(ii)	अनिर्णीत	
36	पैरा- 37	अनिर्णीत	
37	पैरा- 38	अनिर्णीत	
38	पैरा- 39 (i)	अनिर्णीत	
39	पैरा- 39 (ii)	अनिर्णीत	
40	पैरा- 40	अनिर्णीत	
41	पैरा- 41	अनिर्णीत	
42	पैरा- 45	अनिर्णीत	
43	पैरा- 51	अनिर्णीत	
44	पैरा- 52	अनिर्णीत	
45	पैरा- 53	अनिर्णीत	
46	पैरा- 61(iv)(5)	अनिर्णीत	
47	पैरा- 67 (ii)(क)	अनिर्णीत	
48	पैरा- 67 (ii)(ख)(iii)	अनिर्णीत	
49	पैरा- 67(ii)(ख)(iv)	अनिर्णीत	
50	पैरा- 68	अनिर्णीत	
51	पैरा- 70	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007:-

1	पैरा- 1	अनिर्णीत	
2	पैरा- 2 (बी) (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा- 2 (बी) (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 3 (i)	अनिर्णीत	
5	पैरा- 3 (ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा- 4 (सी) (i)	अनिर्णीत	
7	पैरा- 4 (सी) (ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा- 4 (सी) (iii)	अनिर्णीत	
9	पैरा- 4 (सी) (iv)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 4 (सी) (v)	अनिर्णीत	
11	पैरा- 4 (सी) (vi)	अनिर्णीत	
12	पैरा- 4 (सी) (vii)	अनिर्णीत	
13	पैरा- 4 (सी) (viii)	अनिर्णीत	
14	पैरा- 4 (सी) (ix)	अनिर्णीत	
15	पैरा- 4 (सी) (x)	अनिर्णीत	
16	पैरा- 4 (सी) (xi)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 4 (सी) (xiii)	अनिर्णीत	
18	पैरा- 4 (सी) (xvi)	अनिर्णीत	
19	पैरा- 5 (बी) (i)	अनिर्णीत	

20	पैरा- 5 (बी) (ii)	अनिर्णीत	
21	पैरा- 5 (बी) (iii)	अनिर्णीत	
22	पैरा- 6	अनिर्णीत	
23	पैरा- 7 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा- 7 (1) (क)	अनिर्णीत	
25	पैरा- 7 (1) (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा- 7 (iv)	अनिर्णीत	
27	पैरा- 7 (v) (क)	अनिर्णीत	
28	पैरा- 7 (vi)	अनिर्णीत	
29	पैरा- 7 (vii)	अनिर्णीत	
30	पैरा- 7 (vii) (क)	अनिर्णीत	
31	पैरा- 7 (vii) (ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा- 7 (x)	अनिर्णीत	
33	पैरा- 7 (xi)	अनिर्णीत	
34	पैरा- 7 (xii)	अनिर्णीत	
35	पैरा- 8 (i)	अनिर्णीत	
36	पैरा- 8 (ii) (क)	अनिर्णीत	
37	पैरा- 8 (ii) (ख)	अनिर्णीत	
38	पैरा- 8 (ii) (ग)	अनिर्णीत	
39	पैरा- 9 (i)	अनिर्णीत	
40	पैरा- 9 (ii)	अनिर्णीत	
41	पैरा- 9 (iii)	अनिर्णीत	
42	पैरा- 9 (iv)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010:-

1	पैरा- 3	अनिर्णीत	
2	पैरा- 6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा- 6 (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 6 (4)	अनिर्णीत	
5	पैरा- 6 (5)	अनिर्णीत	
6	पैरा- 6 (6)	अनिर्णीत	
7	पैरा- 6 (7)	अनिर्णीत	
8	पैरा- 6 (8)	अनिर्णीत	
9	पैरा- 6 (9)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 6 (11)	अनिर्णीत	
11	पैरा- 6 (12)	अनिर्णीत	
12	पैरा- 6 (13)	अनिर्णीत	
13	पैरा- 6 (14)	अनिर्णीत	
14	पैरा- 6 (15)	अनिर्णीत	

15	पैरा- 6 (16)	अनिर्णीत	
16	पैरा- 6 (17)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 6 (18)	अनिर्णीत	
18	पैरा- 7 (3)	अनिर्णीत	
19	पैरा- 7 (5)	अनिर्णीत	
20	पैरा- 7 (8)	अनिर्णीत	
21	पैरा- 7 (9)	अनिर्णीत	
22	पैरा- 7 (10)	अनिर्णीत	
23	पैरा- 7 (12)	अनिर्णीत	
24	पैरा- 7 (13)	अनिर्णीत	
25	पैरा- 7 (14)	अनिर्णीत	
26	पैरा- 7 (15)	अनिर्णीत	
27	पैरा- 7 (16)	अनिर्णीत	
28	पैरा- 7 (17)	अनिर्णीत	
29	पैरा- 7 (18)	अनिर्णीत	
30	पैरा- 7 (19)	अनिर्णीत	
31	पैरा- 7(20)(क, ख,ग)	अनिर्णीत	
32	पैरा- 7(22) (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
33	पैरा- 8 (क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत	
34	पैरा- 8(2)(क, ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा- 8(3)	अनिर्णीत	
36	पैरा- 8(4)	अनिर्णीत	
37	पैरा- 8(5)	अनिर्णीत	
39	पैरा- 8(6)	अनिर्णीत	
40	पैरा- 8(8)	अनिर्णीत	
41	पैरा- 9(1,2,3)	अनिर्णीत	
42	पैरा- 10	अनिर्णीत	
43	पैरा- 11(1,2)	अनिर्णीत	
43	पैरा- 12	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 03/2012 :-

1	पैरा- 5(iii)	अनिर्णीत	
2	पैरा- 5(iv)	अनिर्णीत	
3	पैरा- 5(v)	अनिर्णीत	
4	पैरा- 6.3.1	अनिर्णीत	
5	पैरा- 6.3.2	अनिर्णीत	
6	पैरा- 6.4	अनिर्णीत	
7	पैरा- 6.4.1	अनिर्णीत	
8	पैरा- 6.4.2	अनिर्णीत	

9	पैरा- 6.4.3	अनिर्णीत	
10	पैरा- 6.5	अनिर्णीत	
11	पैरा- 6.6	अनिर्णीत	
12	पैरा- 7.2	अनिर्णीत	
13	पैरा- 7.3	अनिर्णीत	
14	पैरा- 7.4	अनिर्णीत	
15	पैरा- 8.1	अनिर्णीत	
16	पैरा- 8.1.1	अनिर्णीत	
17	पैरा- 8.1.4	अनिर्णीत	
18	पैरा- 8.1.5	अनिर्णीत	
19	पैरा- 8.1.6	अनिर्णीत	
20	पैरा- 8.1.7	अनिर्णीत	
21	पैरा- 8.1.8	अनिर्णीत	
22	पैरा- 8.1.9	अनिर्णीत	
23	पैरा- 8.2	अनिर्णीत	
24	पैरा- 8.2.1	अनिर्णीत	
25	पैरा- 8.2.2	अनिर्णीत	
26	पैरा- 8.3	अनिर्णीत	
27	पैरा- 8.3.1	अनिर्णीत	
28	पैरा- 8.3.2	अनिर्णीत	
29	पैरा- 8.4	अनिर्णीत	
30	पैरा- 8.6	अनिर्णीत	
31	पैरा- 8.7	अनिर्णीत	
32	पैरा- 8.8	अनिर्णीत	
33	पैरा- 8.9	अनिर्णीत	
34	पैरा- 9	अनिर्णीत	
35	पैरा- 9.1	अनिर्णीत	
36	पैरा- 10	अनिर्णीत	
37	पैरा- 11	अनिर्णीत	
38	पैरा- 12	अनिर्णीत	
39	पैरा- 13	अनिर्णीत	
40	पैरा- 14	अनिर्णीत	
41	पैरा- 15	अनिर्णीत	
42	पैरा- 16	अनिर्णीत	
43	पैरा- 17	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 03/2015 :-

1	पैरा- 4.2	अनिर्णीत	
2	पैरा- 5.2	अनिर्णीत	

3	पैरा- 5.3	अनिर्णीत	
4	पैरा- 9.1.1	अनिर्णीत	
5	पैरा- 9.1.3	अनिर्णीत	
6	पैरा- 9.5	अनिर्णीत	
7	पैरा- 9.6	अनिर्णीत	
8	पैरा- 9.7	अनिर्णीत	
9	पैरा- 10	अनिर्णीत	
10	पैरा- 11	अनिर्णीत	
11	पैरा- 12	अनिर्णीत	
12	पैरा- 12.1	अनिर्णीत	
13	पैरा- 13 (i)	अनिर्णीत	
14	पैरा- 13 (ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा- 13.1	अनिर्णीत	
16	पैरा- 13.2	अनिर्णीत	
17	पैरा- 13.3	अनिर्णीत	
18	पैरा- 13.4	अनिर्णीत	
19	पैरा- 13.5	अनिर्णीत	
20	पैरा- 13.6	अनिर्णीत	
21	पैरा- 14	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 03/2017 :-

1	पैरा- 4 (च)	अनिर्णीत	
2	पैरा- 11	अनिर्णीत	
3	पैरा- 14	अनिर्णीत	
4	पैरा- 16	अनिर्णीत	
5	पैरा- 17	अनिर्णीत	
6	पैरा- 19	अनिर्णीत	
7	पैरा- 20	अनिर्णीत	
8	पैरा- 21	अनिर्णीत	
9	पैरा- 22 (क) (i)	अनिर्णीत	
10	पैरा- 22 (क) (ii)	अनिर्णीत	
11	पैरा- 22 (ग) (ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा- 22 (ग) (iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा- 22 (ग) (v)	अनिर्णीत	
14	पैरा- 22 (ग) (vi)	अनिर्णीत	
15	पैरा- 22 (ग) (vii)	अनिर्णीत	
16	पैरा- 22 (ग) (viii)	अनिर्णीत	
17	पैरा- 22 (घ) (i)	अनिर्णीत	
18	पैरा- 22 (घ) (ii)	अनिर्णीत	

235

19	पैरा- 22 (घ) (iii)	अनिर्णीत	
20	पैरा- 22 (ङ) (ii)	अनिर्णीत	
21	पैरा- 23	अनिर्णीत	
22	पैरा- 24	अनिर्णीत	
23	पैरा- 25	अनिर्णीत	
24	पैरा- 26	अनिर्णीत	
25	पैरा- 27	अनिर्णीत	
26	पैरा- 28	अनिर्णीत	
27	पैरा- 29 (i)	अनिर्णीत	
28	पैरा- 29 (ii)	अनिर्णीत	
29	पैरा- 29 (iii)	अनिर्णीत	
30	पैरा- 30	अनिर्णीत	
31	पैरा- 31	अनिर्णीत	

(झ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 3/2019 :-

1	पैरा -3	अनिर्णीत	
2	पैरा -4 (क) (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा -4 (क) (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा -6 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा -6 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा -7 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा -7 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा -9 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा -11(क)	अनिर्णीत	
10	पैरा -11(ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा -12	अनिर्णीत	
12	पैरा -13	अनिर्णीत	
13	पैरा -14	अनिर्णीत	
14	पैरा -15	अनिर्णीत	
15	पैरा -16 (क)(i)	अनिर्णीत	
16	पैरा -16 (क)(ii)	अनिर्णीत	
17	पैरा -16 (ग)	अनिर्णीत	
18	पैरा -16 (घ)	अनिर्णीत	
19	पैरा -16 (ङ)	अनिर्णीत	
20	पैरा -16 (च)	अनिर्णीत	
21	पैरा -17	अनिर्णीत	
22	पैरा -18	अनिर्णीत	
23	पैरा -19	अनिर्णीत	
24	पैरा -20	अनिर्णीत	

25	पैरा -21 (i)	अनिर्णीत	
26	पैरा -21(ii)	अनिर्णीत	
27	पैरा -22	अनिर्णीत	
28	पैरा -23	अनिर्णीत	
29	पैरा -26	अनिर्णीत	
30	पैरा -27	अनिर्णीत	
31	पैरा -28	अनिर्णीत	
32	पैरा -29	अनिर्णीत	

(ञ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 3/2021 :-

1	पैरा -3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क भेज दिया गया है।
2	पैरा -4.1 (ख) (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा -4.4 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा -4.6 (ख)	निर्णीत	दिनाँक 3.05.23 को ₹39640 पेंशन एवं ग्रेजुटी निधि से प्रतिभूति निधि में राशि हस्तांतरित करने की पुष्टि उपरांत
5	पैरा -4.7 (ख)	निर्णीत	दिनाँक 3.05.23 को ₹39640 पेंशन एवं ग्रेजुटी निधि से प्रतिभूति निधि में राशि हस्तांतरित करने की पुष्टि उपरांत
6	पैरा -6	निर्णीत	सावधिक जमा निवेश की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या- 8 पर उल्लेखित
7	पैरा -6 (i)	अनिर्णीत	
8	पैरा -7 (क)	निर्णीत	अनुदानों की नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या-10 पर उल्लेखित
9	पैरा -7 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा -7 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा -8	निर्णीत	गृहकर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या- 11 (i) पर उल्लेखित
12	पैरा -8.1	अनिर्णीत	
13	पैरा -8.2	अनिर्णीत	
14	पैरा -8.3 (i)	अनिर्णीत	
15	पैरा -8.3(ii)	अनिर्णीत	
16	पैरा -8.3 (क)(i)	अनिर्णीत	
17	पैरा -8.3 (क)(ii)	अनिर्णीत	

18	पैरा -8.3 (क)(iii)	अनिर्णीत	
19	पैरा -8.3 (क)(iv)	अनिर्णीत	
20	पैरा -8.3 (क)(v)	अनिर्णीत	
21	पैरा -8.3 (क)(vi)	अनिर्णीत	
22	पैरा -8.3 (क)(vii)	अनिर्णीत	
23	पैरा -8.4	अनिर्णीत	
24	पैरा -8.5 (i)	अनिर्णीत	
25	पैरा -8.5 (ii)	अनिर्णीत	
26	पैरा -9	निर्णीत	दुकान किराया की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या- 12 (i) पर उल्लेखित
27	पैरा -9.1	अनिर्णीत	
28	पैरा -10	निर्णीत	मोबाईल टावरों की नवीनीकरण शुल्क की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या- 13 पर उल्लेखित
29	पैरा -11	निर्णीत	रोकड़ बही के पेज संख्या 85 दिनाँक 24.08.21 को ₹331395 व रोकड़ बही के पेज संख्या 39 दिनाँक 31.03.22 को ₹251402 की वसूली की पुष्टि उपरांत
30	पैरा -12	निर्णीत	जी -8 संख्या 48/37 दिनाँक 27.01.23 के अंतर्गत ₹508110 की वसूली की पुष्टि उपरांत
31	पैरा -13	अनिर्णीत	
32	पैरा -14	अनिर्णीत	
33	पैरा -15	अनिर्णीत	
34	पैरा -16	अनिर्णीत	
35	पैरा -16.1	अनिर्णीत	
36	पैरा -17	अनिर्णीत	
37	पैरा -18	अनिर्णीत	
38	पैरा -19	अनिर्णीत	
39	पैरा -20	अनिर्णीत	
40	पैरा -21	अंशत निर्णीत	क्रम संख्या -3 पर उल्लेखित श्री तिलक राज संविदाकार से ₹17954 की वसूली जी -8 संख्या 35/26 दिनाँक 6.01.23 के अंतर्गत करने की पुष्टि की गई व शेष राशि ₹517319 की वसूली करनी अभी शेष है।

41	पैरा -22 (क)	अनिर्णीत	
42	पैरा -22 (ख)	अनिर्णीत	
43	पैरा -22 (ग)	अनिर्णीत	
44	पैरा -22 (घ)	निर्णीत	श्री गगन ओहरी, संविदाकार से ₹1403 की वसूली जी -8 संख्या 49/37 दिनाँक 27.01.23 के अंतर्गत करने की पुष्टि उपरांत
45	पैरा -22 (ङ)	अनिर्णीत	
46	पैरा -22 (च)	अनिर्णीत	
47	पैरा -23	अनिर्णीत	
48	पैरा -24	अनिर्णीत	
49	पैरा -25	अनिर्णीत	
50	पैरा -26	निर्णीत	निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या : UD-H(C)(17)-19/97-III-26691 दिनाँक 12.10.2021 के अंतर्गत `327870 की कार्योत्तर स्वीकृति की पुष्टि उपरांत
51	पैरा -27	अनिर्णीत	
52	पैरा -28	अनिर्णीत	
53	पैरा -29	अनिर्णीत	
54	पैरा -30	निर्णीत	अनुपालना की पुष्टि उपरांत
55	पैरा -31	अनिर्णीत	
56	पैरा -32	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या- 53 पर उल्लेखित
57	पैरा -33	अनिर्णीत	
58	पैरा -34	निर्णीत	पुनः प्रारूपित वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या- 54 पर उल्लेखित
59	पैरा -35	अनिर्णीत	
60	पैरा -36	अनिर्णीत	
61	पैरा -37	अनिर्णीत	
62	पैरा -38	अनिर्णीत	
63	पैरा -39	अनिर्णीत	
64	पैरा -40	अनिर्णीत	
65	पैरा -41	अनिर्णीत	
66	पैरा -42	अनिर्णीत	
67	पैरा -43	अनिर्णीत	

68	पैरा -44	निर्णीत	वांछित अभिलेख की सत्यापना की पुष्टि उपरांत
69	पैरा -45	अनिर्णीत	
70	पैरा -46	निर्णीत	अवकाश खाते में संशोधित प्रविष्टि की सत्यापना उपरांत
71	पैरा -47	निर्णीत	अवकाश खाते के अघतन की सत्यापना उपरांत
72	पैरा -48	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार	
अवधि 31.03.21 तक अनिर्णीत पैरे (उप पैरों सहित)	372
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाये गये पैरे (उप पैरों र हित)	21
कुल पैरे	493
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गये पैरे (उप पैरों सहित)	18
दिनाँक 31.03.2023 तक अनिर्णीत पैरे (उप पैरे सहित)	375